दृष्टि The Vision

MPPSC Series Book-4

मध्य प्रदेश, भारत एवं विश्व की अर्थव्यवस्था

MPPSC सहित अधीनस्थ सेवाओं एवं
पीईबी, पीआरटी, कांस्टेबल सहित अन्य
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिये संपूर्ण पुस्तक

बिहार PCS
प्रिलिम्स कोर्स

मोड : ऑनलाइन/पेन ड्राइव

कोर्स की विशेषताएँ

- देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम द्वारा अध्यापन।
- कोर्स की वैधता 2 वर्षों तक तथा प्रत्येक वीडियो को 3 बार तक देखने की सुविधा।
- हर कक्षा के अंत में उस टॉपिक से संबंधित पूछे गए और पूछे जा सकने वाले प्रश्नों पर चर्चा।
- वीडियो क्लिप्स और विज़ुअल्स की मदद से जटिल विषयों की रुचिकर प्रस्तुति।
- कोर्स के अनुसार तैयार की हुई पाठ्यसामग्री।

अधिक जानकारी के लिये 9311406440 नंबर पर कॉल या वाट्सएप करें

ऑनलाइन क्लास के लिये इंस्टॉल करें
Drishti Learning App

IAS Foundation Course
सामान्य अध्ययन
(प्रिलिम्स + मेन्स)

मोड : ऑनलाइन/पेन ड्राइव

डॉ. विकास दिव्यकीर्ति के निर्देशन में

कोर्स की विशेषताएँ

- डॉ. विकास दिव्यकीर्ति तथा देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम द्वारा अध्यापन।
- डॉ. विकास दिव्यकीर्ति द्वारा एथिक्स (संपूर्ण), राजव्यवस्था (व्यापक अंश) और समाज (सैद्धांतिक पक्ष) का अध्यापन।
- कुल 1200+ घंटों की 500+ कक्षाएँ।
- प्रत्येक कक्षा को 3 बार तक देखने की सुविधा। कोर्स की वैधता बैच शुरू होने से 3 वर्षों तक।
- संशय निवारण के लिये एकेडमिक सपोर्ट टीम की सुविधा उपलब्ध। नियमित रूप से डाउट क्लासेज़ तथा ऑनलाइन मीटिंग्स की भी व्यवस्था।

एडमिशन प्रारंभ | पहले 500 विद्यार्थियों के लिये 25% की छूट

अतिरिक्त जानकारी के लिये 9311406442 नंबर पर कॉल करें या वाट्सएप करें

इंस्टॉलमेंट्स पर भी उपलब्ध ! लॉग-इन कीजिये : www.drishtiIAS.com

ऑनलाइन क्लास के लिये अपने एंड्रॉयड फोन पर इंस्टॉल करें
Drishti Learning App

MPPSC Series : Book-4

मध्य प्रदेश, भारत एवं विश्व की अर्थव्यवस्था

दृष्टि पब्लिकेशन्स

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष: 011-47532596, 87501 87501

Website: www.drishtiias.com
E-mail : booksteam@groupdrishti.com

शीर्षक : मध्य प्रदेश, भारत एवं विश्व की अर्थव्यवस्था

लेखक : टीम दृष्टि

संस्करण- जून 2021

मूल्य : ₹ 420

प्रकाशक

VDK Publications Pvt. Ltd.
(दृष्टि पब्लिकेशन्स)
641, प्रथम तल,
डॉ. मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

- इस पुस्तक में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।
- हम विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक में छपी सामग्री लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखी गई है। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो प्रकाशक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।
- **© कॉपीराइट:** VDK Publications Pvt. Ltd. (दृष्टि पब्लिकेशन्स), सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपीकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुन: प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानांतरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।
- एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज़-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।

दो शब्द...

प्रिय पाठको,

अपनी स्थापना के समय से ही हमारा उद्देश्य यही रहा है कि हम आप पाठकों को श्रेष्ठ गुणवत्ता की पाठ्य-सामग्री उपलब्ध करा सकें। इसी संकल्प के साथ हम अपनी यात्रा में बढ़ते गए। हमें इस बात की खुशी है कि इस यात्रा में आप पाठकों का अपार स्नेह प्राप्त हुआ, जिससे हमें और आगे बढ़ने तथा नए प्रयोगों को आज़माने का हौसला मिला। हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर विद्यार्थी हमसे संवाद करते हैं और अपनी बात हम तक पहुँचाते हैं। हम इन संवाद पर गंभीरता से विचार करते हैं तथा हमारी कोशिश रहती है कि आपके अधिक से अधिक जायज़ सुझावों को मूर्त रूप प्रदान कर दिया जाए। इसी सिलसिले में लंबे समय से यह मांग हमारे पास आ रही थी कि हम 'मध्य प्रदेश राज्य सेवा (प्रारंभिक एवं मुख्य) परीक्षा' (MPPSC) के लिये भी पुस्तकों का प्रकाशन करें। हमारी भी इस बात को लेकर सहमति थी कि विद्यार्थियों के बीच श्रेष्ठ कंटेंट उपलब्ध होना ही चाहिये। हम जब भी कोई नई शुरुआत करते हैं तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम श्रेष्ठ गुणवत्ता की पाठ्य-सामग्री के अपने संकल्प से किसी भी कीमत पर समझौता न करें, इसलिये इस प्रस्ताव पर हम लंबे समय से काम कर रहे थे, लेकिन अनेक चरणों से गुज़रने के बाद जब हम इस बात को लेकर आश्वस्त हो गए कि ये पुस्तकें आपके संघर्ष को आसान करने में सक्षम हैं, तब हमने इनके प्रकाशन का निर्णय लिया।

अब, हम आपके समक्ष एक नई पुस्तक सीरीज़ के साथ उपस्थित हैं, जो न केवल 'मध्य प्रदेश राज्य सेवा (प्रारंभिक एवं मुख्य) परीक्षा' को संपूर्णता से कवर करती है बल्कि यहाँ की अधीनस्थ/एकदिवसीय परीक्षाओं के लिये भी समान रूप से उपयोगी है। यह कुल **आठ पुस्तकों** की एक सीरीज़ है, जिसकी चौथी कड़ी के रूप में **'मध्य प्रदेश, भारत एवं विश्व की अर्थव्यवस्था'** की पुस्तक अब आपके हाथों में है। विशिष्ट रूप से इस पुस्तक की चर्चा के पूर्व हम आपको संक्षेप में इस सीरीज़ की कुछ विशेषताओं से अवगत कराना चाहेंगे, ताकि आप इसकी उपयोगिता और अपनी तैयारी में इसके महत्त्व का ठीक-ठीक अनुमान कर सकें।

यह सीरीज़ मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा के संपूर्ण पाठ्यक्रम (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा) को तो कवर करती ही है, साथ ही हमने इसमें उन अतिरिक्त तथ्यों एवं विषय-वस्तुओं को भी शामिल कर दिया है जो मध्य प्रदेश की प्रमुख अधीनस्थ/एकदिवसीय परीक्षाओं के लिये काफी महत्त्वपूर्ण हैं। इससे आपकी बिना अतिरिक्त मेहनत के अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी हो जाएगी और MPPSC पर मुख्य फोकस भी बना रहेगा। इस सीरीज़ की प्रत्येक पुस्तक लगभग 400-600 पृष्ठों की है। प्रथमद्रष्टया आपको यह आकार बड़ा लग सकता है लेकिन ऐसा इसलिये है ताकि एक ही स्रोत से आपकी पूरी तैयारी हो सके। जब आप इसे पढ़ेंगे तो इस बात को महसूस कर पाएंगे।

अब, प्रस्तुत पुस्तक की बात करें तो यह मध्य प्रदेश, भारत एवं विश्व की अर्थव्यवस्था एवं प्रबंधन के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करती है। विशेषज्ञों की हमारी टीम ने इस विषय से संबंधित सभी महत्त्वपूर्ण मानक पुस्तकों का अध्ययन कर आयोग की मांग के अनुरूप उसके सार को मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में प्रस्तुत किया है। हमारी टीम ने अब तक पूछे गए प्रश्नों का भी गंभीरता से अवलोकन किया है तथा पाठ्य-सामग्री को इसी अनुरूप ढाला है। इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के साथ-साथ भविष्य के लिये संभावित प्रश्नों का भी संकलन किया गया है। इससे आपको न केवल परीक्षा की प्रकृति का अनुमान हो सकेगा बल्कि आप पढ़े हुए पाठ को कम समय में रिवाइज़ भी कर सकते हैं। तथ्यों की सटीकता के लिये हमारी टीम ने कई चरणों में इसे जाँचा है तथा इस बात को सुनिश्चित किया है कि पुस्तक तथ्यात्मक त्रुटियों से मुक्त हो। भाषा और प्रस्तुतीकरण के स्तर पर भी हमारी कोशिश यही रही है कि संप्रेषण सहज और बोधगम्य हो।

अंत में यह कि अब यह पुस्तक आपके हाथों में है। इसके अंतिम निर्णयकर्त्ता भी आप ही हैं। आप इसे पढ़ें और अपनी राय हमें बताएँ। इससे हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। **आप अपनी राय हमें 8130392355 नंबर पर वाट्सएप मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं।**

साभार,

प्रधान संपादक

दृष्टि पब्लिकेशन्स

अनुक्रम

खंड-A : मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था

1. मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन ..... 3 – 9
2. मध्य प्रदेश : कृषि एवं पशुपालन ..... 10 – 39
3. मध्य प्रदेश : औद्योगिक क्षेत्र ..... 40 – 50
4. मध्य प्रदेश : सेवा क्षेत्र ..... 51 – 54
5. मध्य प्रदेश : जनांकिकी और प्रभाव ..... 55 – 64
6. मध्य प्रदेश : आधारभूत ढ़ांचा एवं संसाधन ..... 65 – 91
7. मध्य प्रदेश : योजनाएँ ..... 92 – 102

खंड-B : भारत की अर्थव्यवस्था

8. भारतीय अर्थव्यवस्था : सामान्य परिचय ..... 3 – 20
9. राष्ट्रीय आय ..... 21 – 29
10. भारत में आर्थिक नियोजन एवं नीति आयोग ..... 30 – 56
11. समावेशी विकास, गरीबी, बेरोज़गारी तथा अन्य मुद्दे ..... 57 – 92
12. भारत में कृषि क्षेत्र ..... 93 – 126
13. भारत में औद्योगिक क्षेत्र ..... 127 – 155
14. भारत में सेवा क्षेत्र ..... 156 – 171
15. बैंकिंग, वित्तीय प्रणाली एवं मुद्रास्फीति ..... 172 – 220
16. राजकोषीय नीति एवं कर संरचना ..... 221 – 256
17. केंद्र सरकार की योजनाएँ ..... 257 – 288

खंड-C : विश्व की अर्थव्यवस्था

18. भारत का वैदेशिक क्षेत्र ..... 3 – 18
19. अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन, समूह एवं समझौते ..... 19 – 38

खंड A

मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था

1 मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन
(Economy of Madhya Pradesh : An Overview)

मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था *(Economy of Madhya Pradesh)*

आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर भावों पर मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2019-20 (त्वरित अनुमान) की तुलना में वर्ष 2020-21 (अग्रिम अनुमान) में 3.37 प्रतिशत कमी का अनुमान है जबकि वर्ष 2019-20 (त्वरित अनुमान) में वर्ष 2018-19 (प्रावधिक अनुमान) की तुलना में 9.63 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।

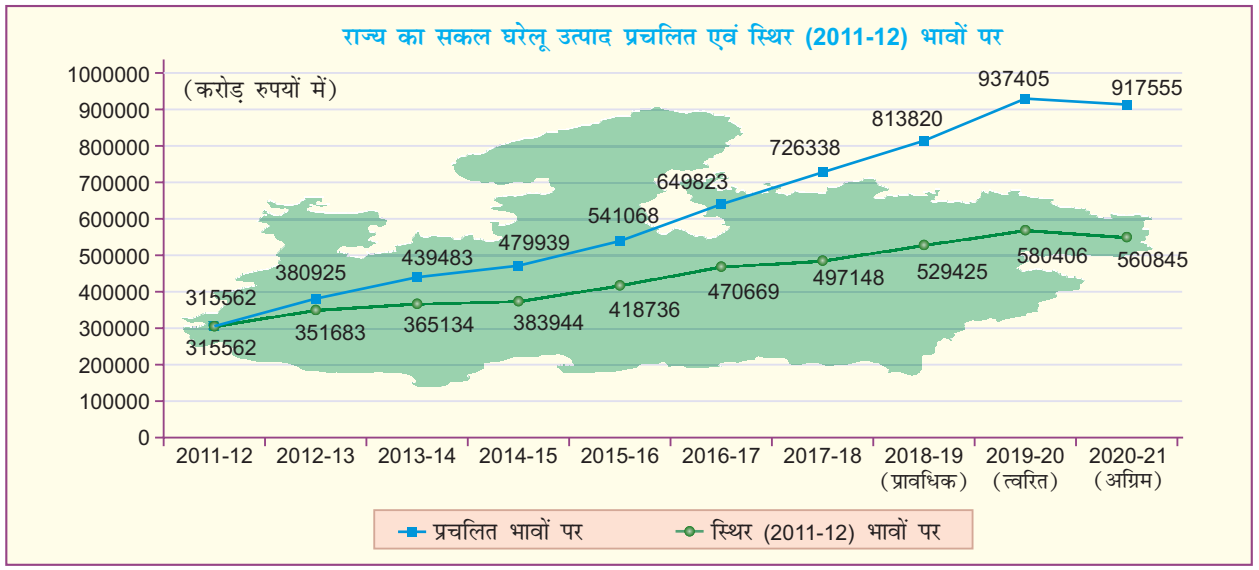

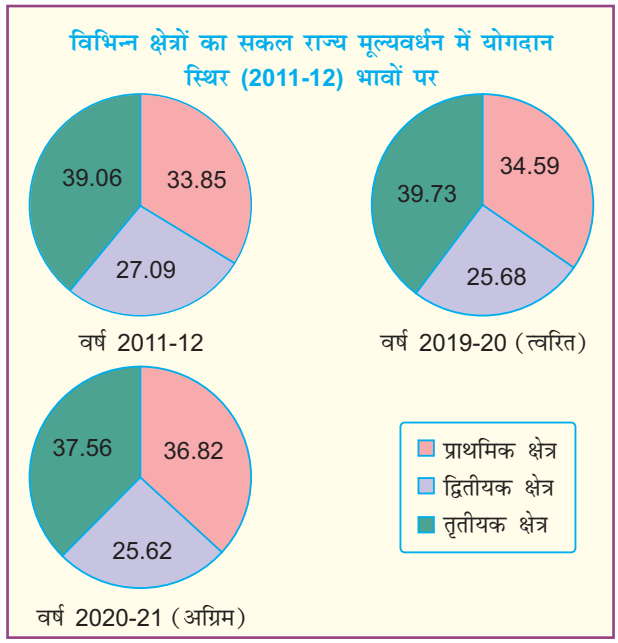

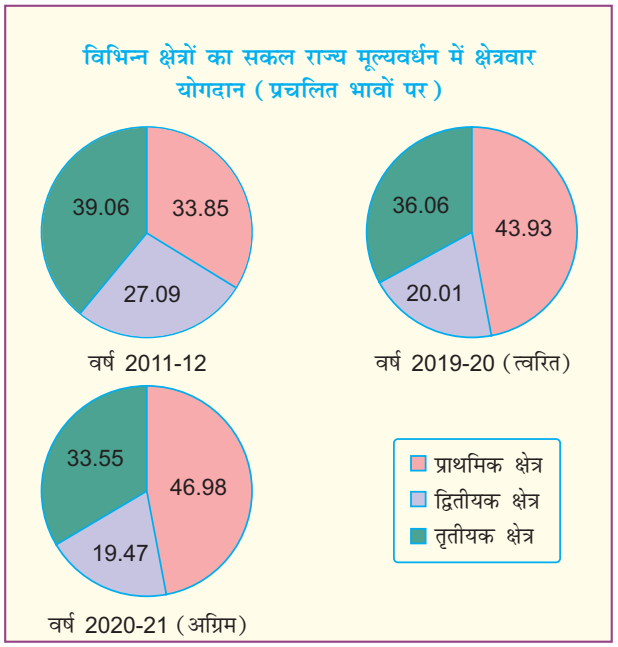

प्रदेश में महत्त्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन

(लाख टन में)

खनिज	2017-18	गत वर्ष से कमी/वृद्धि (प्रतिशत)	2018-19 (प्रावधिक)	गत वर्ष से कमी/वृद्धि (प्रतिशत)	2019-20 (प्रावधिक)	गत वर्ष से वृद्धि/कमी (प्रतिशत)
कोयला	1121.27	+ 6.77	1186.61	+ 5.83	1283.97	+ 8.20
बॉक्साइट	5.94	– 12.18	7.23	+ 21.72	6.29	– 13
ताम्र अयस्क	23.39	– 3.14	25.42	+ 8.68	25.44	+ 0.08
आयरन ऑर	27.43	+ 54.79	27.92	+ 1.79	25.07	– 10.21
मैंगनीज़ अयस्क	8.37	+ 28.77	9.44	+ 12.80	9.80	+ 3.81
रॉक फॉस्फेट	1.13	– 23.95	0.99	– 12.98	1.00	+ 1.01
हीरा (कैरेट)	39699.00	+ 8.79	38437	– 3.18	28815.75	– 25.03
चूना पत्थर	430.60	+ 19.06	497.62	+ 15.56	416.99	– 16.20

नोट: 2019-20 आँकड़े आई.बी.एम. से अप्राप्त होने के कारण जिला कार्यालयों से प्राप्त जानकारी के आधार पर

स्मरणीय तथ्य

- आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर भावों पर मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2019-20 (त्वरित अनुमान) की तुलना में वर्ष 2020-21 (अग्रिम अनुमान) में 3.37 प्रतिशत कमी का अनुमान है।
- आधार वर्ष (2011-12) के स्थिर भावों पर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद ₹315562 करोड़ था, जो वर्ष 2019-20 (त्वरित अनुमान) एवं 2020-21 (अग्रिम अनुमान) में बढ़कर ₹580406 करोड़ एवं ₹560845 करोड़ होने का अनुमान है।
- वर्ष 2020-21 (अग्रिम अनुमान) के दौरान वर्ष 2019-20 से प्राथमिक क्षेत्र में 2.57 प्रतिशत की वृद्धि आकलित की गई है। इसी प्रकार द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में क्रमशः 3.90 प्रतिशत की एवं 8.94 प्रतिशत की कमी अनुमानित रही है।
- स्थिर भावों (2011-12) के आधार पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2019-20 (त्वरित अनुमान) में ₹62236 थी जो घटकर वर्ष 2020-21 (अग्रिम अनुमान) में ₹58425 हो गई है, जो कि गतवर्ष की तुलना में 6.12 प्रतिशत की कमी दर्शाती है।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 (अग्रिम अनुमान) के दौरान फसल क्षेत्र में 3.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- मध्य प्रदेश में इंदौर और देवास मुख्य रूप से निर्यात उत्कृष्ट शहर हैं।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 (त्वरित अनुमान) में सकल राज्य मूल्यवर्धन में वानिकी क्षेत्र का अंश 2.04 प्रतिशत रहा है।
- वर्ष 2019-20 में राज्य का प्राथमिक घाटा ₹18942.39 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राथमिक घाटा ₹30899.42 करोड़ अनुमानित है।
- वर्ष 2019-20 में प्रमुख साग-सब्जी, फसलों का उत्पादन 190.43 लाख मीट्रिक टन, फलों का उत्पादन 79.09 लाख मीट्रिक टन, मसालों का उत्पादन 42.57 लाख मीट्रिक टन तथा पुष्पों का उत्पादन 3.81 लाख मीट्रिक टन रहा है।
- मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय इंदौर में स्थित है।
- सैंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का मुख्यालय छिंदवाड़ा में स्थित है।
- वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान मध्य प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) वृद्धि दर लगभग 15.09 प्रतिशत रही।
- इंदौर शहर को मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है।
- पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश के लिये वितरण योग कर का अंश 7.886 प्रतिशत निश्चित किया है, जबकि चौदहवें वित्त आयोग द्वारा यह अंश 7.548 प्रतिशत निश्चित किया गया था।

मध्य प्रदेश पीसीएस (MPPCS) तथा अधीनस्थ सेवाओं में पूछे गए एवं संभावित प्रश्न

1. 'निर्यात उत्कृष्ट शहर' में मध्य प्रदेश के कौन-से दो शहर शामिल हैं?
   (a) देवास-इंदौर (b) सागर-रतलाम
   (c) रीवा-सतना (d) गुना-शिवपुरी
   MPPCS (Pre), 2019

2. मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय है-
   (a) इंदौर (b) भोपाल
   (c) जबलपुर (d) उज्जैन
   MPPCS (Pre), 2019

3. मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है-
(a) कृषि प्रधान (b) पूंजी प्रधान
(c) उद्योग प्रधान (d) उपरोक्त में से कोई नहीं
MPPCS (Pre), 2016

4. सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का मुख्यालय है-
(a) भोपाल (b) छिंदवाड़ा
(c) सागर (d) इनमें से कोई नहीं
MPPCS (State Engg.), 2018

5. वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान मध्य प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) वृद्धि दर प्रतिशतता क्या थी?
(a) 11.09 (b) 15.09
(c) 16.09 (d) 17.09
MPPCS (Astt. Reg.), 2018

6. मध्य प्रदेश ट्रायफेक निम्न में से किससे संबंधित है?
(a) परिवहन (b) बुनियादी ढाँचे का विकास
(c) निवेश की सुविधा (d) शिक्षा
PEB (PRT) 2017

7. कौन सा शहर मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है।
(a) भोपाल (b) इंदौर
(c) जबलपुर (d) ग्वालियर
PEB (PRT) 2016

8. वित्तीय वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर 2011-12 मूल्यों पर) में कितने प्रतिशत कमी का अनुमान है।
(a) 4.48% (b) 3.37%
(c) 2.27% (d) 6.75%

9. वित्तीय वर्ष 2020-21 (अग्रिम अनुमानों) में मध्य प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्द्धन (स्थिर 2011-12 मूल्यों पर) में प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी हैं-
(a) 36.82% (b) 40.02%
(c) 31.04% (d) 27.15%

10. वित्तीय वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग कितने प्रतिशत अनुमोदित है-
(a) 2.67% (b) 1.85%
(c) 4.99% (d) 6.05%

11. वित्तीय वर्ष 2020-21 (अग्रिम अनुमानों) के दौरान मध्य प्रदेश के फसल क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है।
(a) 3.66% (b) 4.67%
(c) 12.05% (d) 7.75%

उत्तरमाला

1. (a)	2. (a)	3. (a)	4. (b)	5. (b)
6. (c)	7. (b)	8. (b)	9. (a)	10. (c)
11. (a)				

मध्य प्रदेश पीसीएस (MPPCS) मुख्य परीक्षा में पूछे गए एवं संभावित प्रश्न

1. मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में 'जन वित्त' की भूमिका की आलोचनात्मक विवेचना कीजिये। **(100 शब्द)** **MPPCS (Mains) 2017**
2. मध्य प्रदेश के विकास में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में उठाए गए कदमों का उल्लेख करें। **(100 शब्द)** **MPPCS (Mains) 2015**
3. मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में खनिज संसाधनों के महत्त्व को स्पष्ट कीजिये? **(100 शब्द)**
4. मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की भूमिका का वर्णन कीजिये। **(100 शब्द)**
5. मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास में औद्योगिक क्षेत्र के महत्त्व को स्पष्ट कीजिये। **(100 शब्द)**

2 मध्य प्रदेश : कृषि एवं पशुपालन
(Madhya Pradesh : Agriculture and Animal Husbandry)

कृषि (Agriculture)

मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है तथा आर्थिक गतिविधियाँ, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र से निकटता से जुड़ी हुई है। यहाँ आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। यहाँ की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि कार्य में लगा हुआ है। फिर भी यह राज्य कृषि क्षेत्र में अन्य राज्यों की तुलना में पीछे है। इसकी वजह कृषि की मौसम पर अत्यधिक निर्भरता, आधुनिक कृषि यंत्रों का अभाव, अविकसित तकनीक तथा अशिक्षा है। राज्य की महत्त्वपूर्ण फसल सोयाबीन है जिसके कारण प्रदेश को 'सोया प्रदेश' भी कहा जाता है। खाद्यान्न फसलों में गेहूँ प्रमुख रूप से बोया जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के फसल क्षेत्र में 3.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

- मध्य प्रदेश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1964 में जबलपुर में की गई। इसे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वद्यिालय के नाम से जाना जाता है।
- प्रदेश में कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 से राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया है।
- मध्य प्रदेश का सोयाबीन, चना, अलसी, कुल दलहन, कुल तिलहन, ज्वार, अफीम, अमरूद, टमाटर एवं लहसुन के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है तथा गेहूँ, मसूर, आँवला, संतरा, मटर एवं धनिया के उत्पादन में द्वितीय स्थान है। (स्रोत: मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड)।
- यहाँ दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिये वर्ष 1998-99 में राष्ट्रीय दलहन विकास योजना प्रारंभ की गई।
- मध्य प्रदेश में कृषि विभाग का नाम बदलकर 'किसान कल्याण तथा कृषि विभाग' कर दिया गया है। किसानों के हितों के संरक्षण हेतु प्रत्येक ज़िले में एक 'किसान परिषद्' का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष ज़िला पंचायत अध्यक्ष होता है।

राज्य की प्रमुख फसलें *(Major Crops of the State)*

राज्य की प्रमुख फसलों में गेहूँ, मक्का, चना, चावल, अरहर दलहन, सोयाबीन, तिलहन, राई, अलसी, तिल, मटर आदि शामिल हैं। वाणिज्यिक फसलों में कपास, गन्ना, अफीम, मसाले, मेस्टा, गाँजा, सनई आदि प्रमुख हैं।

फसल	भौगोलिक स्थिति एवं विशेषताएँ
गेहूँ	❑ यह प्रदेश की महत्त्वपूर्ण फसल है। इसकी बुआई रबी के मौसम में होती है। यह मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचित फसल है। ❑ प्रदेश में सर्वाधिक गेहूँ मालवा के पठार क्षेत्र में होता है। गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन होशंगाबाद ज़िले में होता है तथा इसके अलावा रायसेन, भोपाल एवं विदिशा भी गेहूँ उत्पादन के महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हैं। ❑ गेहूँ की आवश्यक भौगोलिक दशाओं में 50–75 सेमी. की वर्षा तथा गेहूँ की बुआई के समय आवश्यक तापमान 10°C–15°C तथा पकने के लिये 20°C–25°C तापमान की आवश्यकता होती है। ❑ प्रदेश में गेहूँ की सर्वाधिक उपज दर रतलाम ज़िले में पाई जाती है। राज्य में फसलों का उत्पादन घटते क्रम में क्रमशः गेहूँ, सोयाबीन, चना, चावल, मक्का, कपास एवं ज्वार है। ❑ गेहूँ की खेती उचित सिंचाई प्रबंध के साथ सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, विपुल उत्पादन के लिये गहरी एवं मध्यम दोमट भूमि सर्वाधिक उपयुक्त हैं। ❑ मध्य प्रदेश में उपजाए जाने वाला शर्बती गेहूँ अपने स्वाद की उत्कृष्टता के लिये विश्व प्रसिद्ध है। ❑ मध्य प्रदेश में गेहूँ सर्वाधिक उत्पादित किया जाने वाला अनाज है।
सोयाबीन	❑ यह खरीफ फसल है। ❑ मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है, इसकी वजह से प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ❑ मध्य प्रदेश के सोयाबीन उत्पादन के कारण ही विश्व के सोयाबीन उत्पादन में भारत चौथा स्थान रखता है। ❑ राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में कार्यरत है। ❑ सोयाबीन की खेती हल्की व रेतीली भूमि को छोड़कर सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, परंतु पानी के निकास वाली चिकनी दोमट भूमि इसके लिये सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ❑ एशिया का सोयाबीन का सबसे बड़ा कारखाना उज्जैन में है।
चावल	❑ इस फसल के लिये औसत वार्षिक वर्षा 100–125 सेमी. होनी चाहिये। ❑ चावल की खेती के लिये 20°C-40°C तक का तापमान आदर्श है।

3 मध्य प्रदेश : औद्योगिक क्षेत्र
(Madhya Pradesh : Industrial Sector)

मध्य प्रदेश में उद्योग *(Industry in Madhya Pradesh)*

किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था को विकास के उच्च स्तर पर ले जाने के लिये औद्योगीकरण आवश्यक है। इससे अर्थव्यवस्था का विविधीकरण तथा कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन की सुविधा उपलब्ध होती है। औद्योगीकरण से प्रति व्यक्ति आय में बढ़त के साथ कृषि पर रोज़गार के लिये निर्भरता कम होती है। नागरिकों के उपभोग में उद्योगों से उत्पादित वस्तुओं का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। नागरिकों की आर्थिक प्रगति के लिये वर्तमान परिप्रेक्ष में औद्योगीकरण आवश्यक है।

भारत के हृदय क्षेत्र में स्थित मध्य प्रदेश राज्य देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या में इसका क्रम पाँचवा (जनगणना 2011 के अनुसार) है और राज्य सकल घरेलू उत्पादन में यह देश का नवाँ सबसे बड़ा राज्य है।

मध्य प्रदेश देश में सबसे तेज़ी से विकसित हो रहे राज्यों में अग्रणी है। मध्य प्रदेश राज्य प्राकृतिक संसाधनों, जैसे- ईंधन, खनिज, कृषि और जैव विविधता में समृद्ध है। देश के कोयला भंडार में मध्य प्रदेश का हिस्सा 8.30 प्रतिशत है। चूना पत्थर, मैंगनीज़ और डोलोमाइट के प्रचूर भंडार के अतिरिक्त भारत में हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार भी इसी राज्य में है।

मध्य प्रदेश सभी प्रकार के उद्योगों का गृह है, जो ऑटोमोबाइल से लेकर दवा तक एवं सॉफ्टवेयर से लेकर खुदरा व्यापार तक और वस्त्र उद्योगों से लेकर रियल स्टेट तक फैला है। जहाँ रेडीमेड वस्त्र उद्योग और व्यापार राज्य के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सबसे पुरातन व्यवसाय है, वहीं विगत वर्षों में रियल स्टेट बहुत तेज़ी से उभरा है, मध्य प्रदेश में कई विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, जो मध्य प्रदेश के निर्यात एवं आर्थिक विकास को मज़बूती प्रदान करते हैं, ऑटोमोबाइल उद्योग के क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र इंदौर की उपस्थिति के कारण पीथमपुर को 'डेट्रॉइट ऑफ इण्डिया' के रूप में भी जाना जाता है। मुख्यत: आर्थिक मूल्य के खनिज पदार्थों पर आधारित उद्योग और रेडीमेड वस्त्र उद्योग भी राज्य के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मध्य प्रदेश के भौगोलिक रूप से भारत के मध्य में होने के कारण इसका भारत के कई भागों से संयोजन/जुड़ाव सर्वश्रेष्ठ है और 1,00,000 किमी. से अधिक सड़कों का सुदृढ़ जाल इसे केंद्रीयकृत विनिर्माण और वितरण हब के लिये आदर्श स्थल बनाता है।

पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव आया है। बाज़ार की ताकतों ने औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश प्रवाह को निर्देशित करना शुरू कर दिया है। आर्थिक विकास के लिये औद्योगिक विकास में निवेश बढ़ाना आवश्यक है। भारत में मध्य प्रदेश, भारत में सबसे तेज़ी से विकसित हो रहे प्रभावशाली राज्यों में से एक है।

तेज़ी से विकसित हो रहा यह राज्य विभिन्न क्षेत्रों में भारी व्यापार के अवसर प्रदान करता है। मध्य प्रदेश में निवेशकों को परियोजना के स्थान, बुनियादी ढाँचे, प्रोत्साहन और अन्य सुविधाओं के मामले में बेहतर विकल्प उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश में उद्योग काफी हद तक प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। यहाँ चूना पत्थर, कोयला, तिलहन, दालें, बॉक्साइट, लौह अयस्क, हीरा, तांबा, अयस्क, मैंगनीज़ अयस्क, रॉक फॉस्फेट, सिलिका, सोया, कपास और अन्य प्राकृतिक संपदा प्रचूर मात्रा में है। राज्य में कपड़ा, सीमेंट, इस्पात, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल और ऑटो कम्पोनेंट, फार्मा और ऑप्टिकल फाइबर जैसे क्षेत्रों के लिये एक मज़बूत औद्यागिक नींव बनी हुई है। राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिये मध्य प्रदेश संसाधनों से समृद्ध राज्य है। प्रगतिशील नीतियों और सक्रिय उपायों के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार लगातार कारोबारी माहौल में सुधार कर रही है। मध्य प्रदेश के संसाधनों और निवेश के अवसरों के बारे में निवेशकों में जागरूकता पैदा करने के लिये राज्य सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की संगोष्ठी का आयोजन करती है।

राज्य के सकल मूल्यवर्धन में द्वितीयक क्षेत्र (उद्योग) के योगदान में उतार चढ़ाव परिलक्षित हुए हैं। वर्ष 2011-12 के स्थिर भावों पर 27.09 प्रतिशत की तुलना में घटकर वर्ष 2018-19 में 25.73 प्रतिशत तथा वर्ष 2019-20 के त्वरित अनुमानों के अनुसार 25.68 प्रतिशत आंका गया है। विनिर्माण-क्षेत्र में वर्ष 2019-20 (त्वरित) के दौरान 5.69 प्रतिशत वृद्धि रही है।

मध्य प्रदेश: औद्योगीकरण एवं नियोजन *(Madhya Pradesh: Industrialization and Planning)*

किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिये यह आवश्यक है कि वहाँ उद्योगों का विकास किया जाए। मध्य प्रदेश एक खनिज संसाधन संपन्न प्रदेश है, फिर भी यह औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़ा है। अपनी कुछ समस्याओं के कारण यहाँ औद्योगीकरण काफी धीमी गति से हुआ। यद्यपि 1990 के बाद वैश्वीकरण एवं उन्मुक्त व्यापार होने पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने देश के अलग-अलग प्रदेशों को बड़े बाज़ारों के रूप में उभारा, लेकिन वे पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकीं। वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार औद्योगीकरण से विकास करने के लिये विभिन्न नीतियाँ बना रही है।

कैट (CAT)

कैट (Centre for Advanced Technology) को मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित किया गया है। यह विश्व का तीसरा तथा एशिया में प्रथम लेज़र किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र है। कैट का नाम दिसंबर 2005 में राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिक केंद्र (RRCAT) कर दिया गया है। यह BARC (Bhabha Atomic Research Centre) की एक यूनिट के रूप में स्थापित है।

4 मध्य प्रदेश : सेवा क्षेत्र
(Madhya Pradesh : Service Sector)

सेवा क्षेत्र (Service Sector)

किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की प्रकृति के आधार पर उत्पादन क्रियाओं को तीन क्षेत्रों में बाँटा जाता है-(क) प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector), (ख) द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector) और (ग) तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector)।

वस्तुतः नैसर्गिक संसाधनों (Natural Resources) के प्रत्यक्ष दोहन द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए उन्हें प्राथमिक वस्तुएँ (Primary Goods) कहते हैं तथा ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न संस्थागत संरचना (Institutional Structure) को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। वहीं प्राथमिक वस्तुओं में मूल्यवर्द्धन द्वारा जिन नई वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उन्हें द्वितीयक वस्तुएँ (Secondary Goods) कहते हैं तथा ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न संस्थागत संरचना को द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector) कहते हैं।

अगर तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector) की बात की जाए तो, अदृश्य सेवाओं (Invisible Services) को तृतीयक वस्तुएँ (Tertiary Goods) कहते हैं तथा सेवाओं के उत्पादन में संलग्न संस्थागत संरचना को तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector) कहते हैं। अर्थात तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं।

दूसरे शब्दों में, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है, जिसमें उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। सेवा क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जैसे- व्यापार, होटल एवं रेस्त्राँ, भंडारण, परिवहन, संचार, वित्त, बीमा, रियल एस्टेट, व्यापारिक सेवाएँ, सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएँ तथा निर्माण कार्यों से संबद्ध सेवाएँ इत्यादि।

उल्लेखीय है कि वैश्विक स्तर के साथ-साथ विभिन्न राज्यों की अर्थव्यवस्था के विकास प्रवृत्ति का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि जो देश/राज्य विकास पथ पर अग्रसर होते हैं, उन देशों की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की तुलना में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है।

मध्य प्रदेश में सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन
(Service Sector Performance in Madhya Pradesh)

मध्य प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्द्धन में तृतीयक क्षेत्र (सेवा क्षेत्र) का अंश वित्तीय वर्ष 2011-12 में 39.06 प्रतिशत था, जो कि स्थिर (2011-12) मूल्यों पर वित्तीय वर्ष 2019-20 (त्वरित अनुमान) एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 (अग्रिम अनुमान) में क्रमशः 39.73 प्रतिशत एवं 37.56 प्रतिशत रहा।

विभिन्न क्षेत्रों से उत्पन्न सकल राज्य मूल्यवर्द्धन का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण (प्रचलित मूल्यों पर)

क्षेत्र	वित्तीय वर्ष (2011-12)	वित्तीय वर्ष (2019-20) (त्वरित अनुमान)	वित्तीय वर्ष (2020-21) (अग्रिम अनुमान)
प्राथमिक क्षेत्र	33.85	43.93	46.98
द्वितीयक क्षेत्र	27.09	20.01	19.47
तृतीयक क्षेत्र	39.06	36.06	33.55

विभिन्न क्षेत्रों से उत्पन्न सकल राज्य मूल्यवर्द्धन का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण स्थिर (2011-12) मूल्यों पर

क्षेत्र	वित्तीय वर्ष (2011-12)	वित्तीय वर्ष (2019-20) (त्वरित अनुमान)	वित्तीय वर्ष (2020-21) (अग्रिम अनुमान)
प्राथमिक क्षेत्र	33.85	34.59	36.82
द्वितीयक क्षेत्र	27.09	25.68	25.62
तृतीयक क्षेत्र	39.06	39.73	37.56

पर्यटन क्षेत्र (Tourism Sector): वित्तीय वर्ष 2019-20 में वैश्विक महामारी के कारण पर्यटन क्षेत्र को बहुत बड़ी हानि हुई। इस दौरान 8.90 करोड़ पर्यटक मध्य प्रदेश में विभिन्न पर्यटन स्थलों पर भ्रमण हेतु आए।

परिवहन क्षेत्र (Transport Sector): राज्य की अर्थव्यवस्था में परिवहन क्षेत्र (भंडारण सहित) में वृद्धि स्थिर भावों (2011-12) पर वर्ष 2018-19 (प्राविधिक अनुमानों) में 9.63 प्रतिशत एवं वर्ष 2019-20 (त्वरित अनुमान) में 9.67 प्रतिशत है। प्रचलित भावों पर वर्ष 2019-20 (त्वरित अनुमान) में सकल राज्य मूल्यवर्द्धन में इस क्षेत्र की 2.76 प्रतिशत अंश की भागीदारी रही है। स्थिर भावों (2011-12) पर राज्य मूल्यवर्द्धन में इस भागीदारी का अंश वर्ष 2019-20 (त्वरित अनुमान) में 3.49 रहा।

मध्य प्रदेश राज्य के सकल मूल्यवर्द्धन में वर्ष 2018-19 के प्राविधिक अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर रेलवे का अंश 1.00 प्रतिशत रहा जबकि स्थिर भावों (2011-12) पर 1.16 प्रतिशत अंश है। वर्ष 2019-20 के त्वरित अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर रेलवे का अंश 0.94 प्रतिशत तथा स्थिर भावों पर 1.10 प्रतिशत है। मध्य प्रदेश में सकल मूल्यवर्द्धन के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के प्राविधिक अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर संचार क्षेत्र का अंश 1.52 प्रतिशत एवं वर्ष 2019-20 (त्वरित अनुमान) के अनुसार 1.36 प्रतिशत है जबकि स्थिर भावों (2011-12) पर वर्ष 2018-19 में 1.87 प्रतिशत एवं वर्ष 2019-20 (त्वरित अनुमान) में 1.78 प्रतिशत अंश परिलक्षित है।

5 मध्य प्रदेश : जनांकिकी और प्रभाव
(Madhya Pradesh : Demography and Effects)

मध्य प्रदेश : जनगणना–2011
(Madhya Pradesh : Census-2011)

जनगणना संघ सूची का विषय है। इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 246 में की गई है। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना है तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। जनगणना की महत्ता को देखते हुए संघ सरकार ने 1961 में 'जनगणना विभाग' की स्थापना की जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।

- भारत में सबसे पहले जनगणना ब्रिटिश भारत में 1872 में लार्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी तथा 1881 से लार्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान भारत में नियमित जनगणना शुरू हुई। भारत सरकार द्वारा इस परंपरा को जारी रखते हुए प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर देश की जनगणना करवाई जाती है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,26,809 है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 6 प्रतिशत है तथा जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश, देश का पाँचवा बड़ा राज्य है।

जनगणना आयुक्त कार्यालय (जनगणना महानिदेशक श्री सी. चंद्रमौली) द्वारा जनगणना 2011 के अंतिम आँकड़े जारी किये गए। यह मध्य प्रदेश की छठी एवं देश की पंद्रहवीं जनगणना है। ध्यातव्य है कि 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात् राज्य की पहली जनगणना 1961 में हुई थी।

- प्रदेश की कुल जनसंख्या: 7,26,26,809
  - पुरुष जनसंख्या: 3,76,12,306
  - महिला जनसंख्या: 3,50,14,503
- राज्य की जनसंख्या प्रतिशत देश की कुल जनसंख्या का 5.99% है।
- जनगणना 2011 में राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या 5,25,57,404 (72.4%) व नगरीय जनसंख्या 2,00,69,405 (27.6%)
- राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला– इंदौर (4.5%)
- राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला– निवाड़ी (0.6%)

प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले (घटते क्रम में)		
1.	इंदौर	32,76,697
2.	जबलपुर	24,63,289
3.	सागर	23,78,458
4.	भोपाल	23,71,061
5.	रीवा	23,65,106

प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले		
1.	निवाड़ी	4,04,807
2.	हरदा	5,70,465
3.	उमरिया	6,44,758
4.	श्योपुर	6,87,861
5.	डिंडोरी	7,04,524

प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या: *5,25,57,404*

पुरुष– 2,71,49,388 महिला– 2,54,08,016

ग्रामीण जनसंख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या का 72.4% है।

प्रदेश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या: *2,00,69,405*

पुरुष– 1,04,62,918 महिला– 96,06,487

शहरी जनसंख्या का प्रतिशत प्रदेश की कुल जनसंख्या का 27.6% है।

प्रदेश के सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले ज़िले		
1.	रीवा	19,69,321
2.	धार	17,72,572
3.	सतना	17,54,517
4.	सागर	16,69,662
5.	छिंदवाड़ा	15,85,739

प्रदेश के सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले ज़िले		
1.	इंदौर	24,27,709
2.	भोपाल	19,17,051
3.	जबलपुर	14,40,034
4.	ग्वालियर	12,73,792
5.	उज्जैन	7,79,213

प्रदेश के सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाले ज़िले		
1.	डिंडोरी	95.4%
2.	अलीराजपुर	92.2%
3.	सीधी	91.7%
4.	झाबुआ	91%
5.	सिवनी	88.1%

6 मध्य प्रदेश : आधारभूत ढ़ांचा एवं संसाधन
(Madhya Pradesh : Basic Infrastructure and Resource)

किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास हेतु वहाँ की आधारभूत ढाँचा/अवसंरचना का मजबूत होना आवश्यक है, जिसके आधार पर राज्य के संसाधनों का अनुकूलतम दोहन किया जा सके। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जो प्राकृतिक संसाधनों, स्वास्थ्यकर वातावरण और उपजाऊ कृषि वातावरण स्थितियों से संपन्न है। मध्य प्रदेश के उद्योग काफी हद तक प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर हैं। चूँकि अवसंरचना संसाधनों तथा विकास के मध्य एक कड़ी का काम करता है। इसलिये सरकार द्वारा इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गये हैं। अवसंरचना विकास, समावेशी विकास, आर्थिक संवृद्धि, निर्धनता कम करने तथा वृहद विकास लक्ष्य को पाने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

आधारभूत ढ़ाँचा (Basic Structure)

किसी भी अर्थव्यवस्था के सुचारु रूप से कार्य करने, विकास करने एवं प्रगति के लिये जिन सुविधाओं, क्रियाओं व सेवाओं की आवश्यकता होती है, उसे अवसंरचना, अधोसंरचना या आधारभूत ढांचा कहा जाता है। अवसंरचना आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों के मूल तत्त्व को प्रकट करती है तथा सहयोगी व्यवस्था का कार्य करती है, जैसे-सड़क, बिजली, परिवहन, संचार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था, ऊर्जा आदि।

अवसंरचना या आधारभूत ढांचा को दो भागों में विभाजित किया जाता है-

आर्थिक अवसंरचना *(Economic Infrastructure)*

इसके अंतर्गत उन सभी तत्त्वों को सम्मिलित किया जाता है जो आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ हैं एवं उनकी वृद्धि में सहायक होते हैं। आर्थिक विकास की बुनियादी आवश्यकता के घटकों को आर्थिक अवसंरचना कहा जाता है। इसमें ऊर्जा, परिवहन, दूरसंचार आदि को सम्मिलित किया जाता है।

सामाजिक अवसंरचना *(Social Infrastructure)*

इसके अंतर्गत उन सभी तत्त्वों को सम्मिलित किया जाता है जो सामाजिक गतिविधियों के विस्तार एवं विकास में सहायक हैं तथा सहयोगी भूमिका निभाते हैं। ये मानव संसाधन विकास और मानव पूंजी निर्माण में सहायक हैं। समाज को कुशल, निपुण एवं स्वस्थ मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली अवसंरचना को सामाजिक अवसंरचना कहा जाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि को शामिल किया जाता है।

अवसंरचना की भूमिका (Role of Infrastructure)

राज्य के आर्थिक विकास एवं प्रगति में अवसंरचना की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। आर्थिक एवं सामाजिक अवसंरचनाएँ एक-दूसरे के पूरक हैं। सामाजिक अवसंरचनात्मक ढाँचे के बिना आर्थिक अवसंरचनात्मक ढाँचे का कोई अर्थ नहीं है तथा आर्थिक अवसंरचनात्मक ढाँचे के बिना सामाजिक अवसंरचनात्मक ढाँचा औचित्यहीन है। इसलिये सामाजिक एवं आर्थिक अवसंरचना का संयुक्त विकास आवश्यक है। ये निम्नलिखित भूमिका निभाती हैं-

- **राज्य की उत्पादन वृद्धि:** राज्य की उन्नति कृषि एवं उद्योग के विकास पर निर्भर करती है। कृषि उत्पादन के लिये ऊर्जा, साख, परिवहन, सड़क, पानी आदि की आवश्यकता होती है एवं इसके अभाव में उत्पादकता में कमी आती है। औद्योगिक उत्पादन के लिये मशीनरी, ऊर्जा, बैंक, बीमा, परिवहन (रेल, सड़क), संचार सेवाएँ आदि की आवश्यकता होती है। ये सभी सुविधाएँ कृषि तथा औद्योगिक उत्पादकता में वृद्धि तथा विकास को बढ़ाती हैं।
- **रोज़गार सृजन:** अवसंरचना कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में तीव्र एवं स्थायी रोज़गार प्रदान करने का मुख्य साधन है।
- **निवेश प्राप्ति:** विकसित अवसंरचना राज्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, संस्थागत निवेश एवं घरेलू निवेश में वृद्धि करती है। फलस्वरूप निवेश बढ़ने से रोज़गार सृजन को भी बढ़ावा मिलता है।
- **आर्थिक विकास का साधन:** कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र के विकास के साथ-साथ किसी राष्ट्र की आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका अवसंरचना निभाती है।
- **जी.डी.पी. एवं व्यापार के आकार में वृद्धि:** अवसंरचना के विकास से राष्ट्र में व्यापार, निवेश एवं आर्थिक क्रियाओं में तीव्रता आने से निर्यात में वृद्धि तथा आयात में कमी आती है जिसके फलस्वरूप जी.डी.पी. का आकार भी बढ़ता है।
- **कार्यक्षमता विकास:** सामाजिक अवसंरचना कार्मिकों के जीवन-स्तर में वृद्धि करती है जिससे उनकी कार्यक्षमता एवं आत्मसंतुष्टि में वृद्धि होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास न केवल मानव संसाधन को दक्ष एवं कार्यक्षम बनाता है बल्कि मानव पूंजी का निर्माण करता है।
- **निर्यात को बढ़ावा एवं आयात में कमी:** अवसंरचना विकास से कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में वृद्धि से आयात में कमी आती है तथा अधिक उत्पादन से निर्यात में वृद्धि होती है।
- **मानव विकास में वृद्धि:** अवसंरचनात्मक विकास से मानव विकास में वृद्धि होती है। यह मानवीय संसाधनों की गुणवत्ता को सुधारता है जिससे मानवीय विकास की प्रक्रिया तेज़ होती है। मानवीय पूंजी किसी देश की संपूर्ण प्रगति का मुख्य वाहक है।

उच्चतर आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने तथा भारत जैसी उभर रही अर्थव्यवस्था के सभी विविध हितधारकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये अवसंरचना क्षेत्र में अधिक-से-अधिक निवेश करना

7 मध्य प्रदेश : योजनाएँ
(Madhya Pradesh : Schemes)

महिला सशक्तीकरण से संबंधित योजनाएँ
(Schemes Related to Women Empowerment)

मध्य प्रदेश शासन ने महिला सशक्तीकरण के लक्ष्य की पूर्ति के लिये अनेक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है जो राज्य के नागरिकों के कल्याण की दिशा में सकारात्मक परिणाम दे रही है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएँ निम्नलिखित हैं-

लाडली लक्ष्मी योजना (Ladli Laxmi Yojana): मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल, 2007 से बालिकाओं के सर्वांगीण विकास एवं हितों के संरक्षण हेतु महत्त्वाकांक्षी 'लाडली लक्ष्मी योजना' शुरू की गई है। इस योजना के तहत बालिका के नाम पंजीकरण के समय से लगातार पाँच वर्षों तक ₹6 हज़ार के राष्ट्रीय बचत पत्र अर्थात् कुल ₹30 हज़ार के राष्ट्रीय बचत पत्र बालिका के नाम पर खरीदे जाएंगे। बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर ₹2000, कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर ₹4000 और कक्षा 11 में प्रवेश लेने पर ₹6000 तथा 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर ₹6000 ई-पेमेंट से भुगतान किये जाएंगे। बालिका की आयु 21 वर्ष की होने पर शेष राशि का भुगतान एकमुश्त तभी किया जाएगा, जब बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के बाद हुआ हो। परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना का लाभ ऐसे माता-पिता को ही दिया जाता है, जिन्होंने अधिकतम दो लड़कियों के जन्म के पश्चात् परिवार नियोजन अपना लिया हो।

नि:शुल्क साइकिल वितरण योजना (Nishulk Cycle Vitran Yojana): प्रदेश में कक्षा 9वीं में दूसरे ग्राम से ऐसे टोले जिनकी दूरी विद्यालय से 2 किमी. से अधिक है, अध्ययन के लिए जाने वाले बालिकाओं/बालकों को नि:शुल्क साईकिल वितरित की जाती है वर्ष 2019-20 में 5.60 लाख इस योजना को लाभान्वित किया गया है।

गाँव की बेटी योजना (Gaon ki Beti Yojana): यह योजना वर्ष 2005 में शुरू की गई। राज्य सरकार ने इस योजना के द्वारा ग्रामीण लड़कियों को उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक गाँव से एवं नवोदय विद्यालय से 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्राओं को ₹500 प्रतिमाह की दर से 10 माह तक छात्रवृत्ति शिक्षा के लिये दी जाएगी।

मुख्यमंत्री निकाह योजना (Mukhyamantri Nikah Yojana): मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री निकाह योजना वर्ष 2012 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत निराश्रित या गरीब परिवारों की मुस्लिम कन्याओं/विधवाओं/परित्यक्ताओं के सामूहिक निकाह कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत कन्याओं की गृहस्थी की स्थापना हेतु ₹48,000 कन्या के खाते में जमा कराये जाते हैं एवं सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाले निकाय जैसे नगरीय निकाय, जनपद पंचायत को विवाह आयोजन की प्रतिपूर्ति के लिए ₹3000 दिये जाते हैं। इस प्रकार इस योजना के तहत कुल ₹51,000 दिये जाने का प्रावधान है। इसमें कन्या के लिये 18 वर्ष तथा पुरुष के लिये 21 वर्ष की आयु सीमा पूर्ण करने की अनिवार्यता है। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान नहीं रखा गया है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (Mukhyamantri Kanyadan Yojana): यह योजना अप्रैल 2006 से शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा गरीब, ज़रूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के लिये ₹25000 से बढ़ाकर ₹51000 की सहायता की जाती है।

मुख्यमंत्री कौशल्या योजना (Mukhyamantri Kaushalya Yojana): महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये यह योजना चलाई गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 2 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण की अवधि 15 दिवस से लेकर 9 माह तक की होगी।

इस योजना के अंतर्गत उन महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिन्होंने नियमित औपचारिक शिक्षा को बीच में ही छोड़ दिया है अथवा जो अपने कौशल को विकसित कर स्वरोज़गार करने की इच्छुक हैं। इस योजना में बाल-विवाह तथा हिंसा से पीड़ित महिलाओं को भी सम्मिलित किया जाएगा। इस योजना की मॉनीटरिंग मध्य प्रदेश कौशल विकास एवं रोज़गार सृजन बोर्ड करेगा।

सबला योजना (SABLA Yojana): भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार राज्य सरकार द्वारा चयनित 15 ज़िलों में सबला योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत आँगनबाड़ी केंद्रों में 11 से 15 वर्ष तक पाठशाला छोड़े हुए एवं 15 से 18 वर्ष तक की सभी बालिकाओं को सप्ताह के 6 दिन टेक होम राशन के तहत गेहूँ, सोया बर्फी (प्री मिक्स्ड), खिचड़ी पूरक पोषक आहार के रूप में प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत पूरक पोषण आहार की व्यवस्था के लिये 50% तक की व्यय की जाने वाली राशि महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। सबला योजना में सम्मिलित ज़िले हैं- बैतूल, भोपाल, भिंड, राजगढ़, इंदौर, श्योपुर, जबलपुर, बालाघाट, सीधी, रीवा, दमोह, सागर, झाबुआ, टीकमगढ़ एवं नीमच।

स्वागतम लक्ष्मी योजना (Swagatam Laxmi Yojana): प्रदेश में घटते लिंगानुपात को कम करने तथा इसे रोकने के प्रयास के तहत 24 जनवरी, 2014 को यह योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म लेने पर शिशु और माता का सम्मान ग्राम पंचायत व वार्ड सदस्यों के द्वारा उनके घर जाकर किया जाता है।

उषा किरण योजना (Usha Kiran Yojana): वर्ष 2008 में प्रारंभ की गई इस योजना का प्रमुख उद्देश्य 'घरेलू हिंसा अधिनियम-2005'

खंड B

भारत की अर्थव्यवस्था

8 भारतीय अर्थव्यवस्था : सामान्य परिचय
(Indian Economy : General Introduction)

अर्थशास्त्र (Economics)

अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग किया जाए कि उनसे व्यष्टि से लेकर समष्टि स्तर पर अधिकाधिक संतुष्टि प्राप्त की जा सके। अर्थशास्त्र की विषय-वस्तु दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन से इस प्रकार से संबंधित है कि व्यष्टि स्तर पर व्यक्ति अपने आर्थिक लाभों को अधिकतम कर सके तथा समष्टि स्तर पर कोई देश अपने सकल घरेलू उत्पाद को अधिकतम एवं समाज कल्याण को सुनिश्चित कर सके।

एक व्यक्ति के स्तर (व्यष्टि स्तर) पर तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था एवं राष्ट्र के स्तर (समष्टि स्तर) पर संसाधन सीमित मात्रा में ही पाए जाते हैं एवं इन्हीं सीमित संसाधनों के साथ मनुष्यों द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास किया जाता है। संसाधन केवल दुर्लभ ही नहीं होते बल्कि इनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं, इसलिये संसाधनों को प्रबंधित किया जाना आवश्यक होता है। जैसे- व्यष्टि स्तर पर एक किसान अपनी भूमि पर गेहूँ, चावल, मक्का, दालें या गन्ना उत्पादित कर सकता है। इसी प्रकार समष्टि स्तर पर एक देश की सरकार देश के संसाधनों का रक्षा सामग्रियों के क्रय करने, अवसंरचनात्मक ढाँचे का विकास करने, गरीबों एवं वंचित वर्गों के लिये लोक-कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों को चलाने इत्यादि में उपयोग कर सकती है। अर्थशास्त्र व्यष्टि एवं समष्टि स्तर पर सीमित संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन अथवा कुशलतम उपयोग से संबंधित होता है।

अर्थशास्त्र वह विषय है, जिसके तहत यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज और सरकार किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों के द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र एक व्यापक विषय है, जो उत्पादन, उपभोग, बचत, विनियोग, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, रोज़गार के अवसर, जीवन की गुणवत्ता आदि से संबंधित विषयों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, अर्थात् "अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, जो उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन करता है।"

सामान्य शब्दों में, "अर्थशास्त्र वह विषय है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है।" प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'द वेल्थ ऑफ नेशंस' (The Wealth of Nations) में अर्थशास्त्र को 'धन का विज्ञान' कहा है।

अर्थशास्त्र का वर्गीकरण *(Classification of Economics)*

अर्थशास्त्र का वर्गीकरण निम्नलिखित दो आधारों पर किया जा सकता है-

1. व्यष्टि अर्थशास्त्र (Microeconomics)

व्यष्टि अर्थशास्त्र को 'सूक्ष्म अर्थशास्त्र' भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की एक इकाई या इकाई के भाग के रूप में अर्थव्यवस्था के छोटे-छोटे पहलुओं अर्थात् व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे- एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म अथवा एक उद्योग, एक बाज़ार इत्यादि। अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म जानकारी किसी व्यक्ति, फर्म, घरेलू कार्य की नीति निर्धारण, यथा- उत्पादन, उपभोग, मूल्य निर्धारण इत्यादि में सहायक होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आंशिक संतुलन से अधिक प्रभावित है, जो आर्थिक क्रिया से संबंधित महत्त्वपूर्ण कारकों से प्रभावित होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अनुकूलतम साधन आवंटन और आर्थिक क्रियाओं, जैसे- मांग और पूर्ति का अध्ययन, मूल्य निर्धारण से संबंधित समस्याओं और नीतियों का अध्ययन होता है।

व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्त्वपूर्ण घटक

- **उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत:** इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न प्रयोगों में आवंटित करता है, ताकि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके।
- **उत्पादक व्यवहार सिद्धांत:** इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि उत्पादक यह निर्णय कैसे लेता है कि उसे किस वस्तु का उत्पादन करना है तथा कितना उत्पादन करना है जिससे उसका लाभ अधिकतम हो सके।
- **कीमत सिद्धांत:** 'कीमत सिद्धांत' व्यष्टि अर्थशास्त्र का सबसे महत्त्वपूर्ण घटक है। कीमत सिद्धांत में यह अध्ययन किया जाता है कि बाज़ार में वस्तुओं की कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है।

2. समष्टि अर्थशास्त्र (Macroeconomics)

समष्टि अर्थशास्त्र को 'वृहद् अर्थशास्त्र' भी कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के बड़े पहलुओं अर्थात् संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समुच्चयों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, जैसे- राष्ट्रीय आय, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, सरकारी बजट, आर्थिक संवृद्धि, आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, गरीबी, बेरोज़गारी इत्यादि। समष्टि अर्थशास्त्र सभी आर्थिक इकाइयों का समग्र अध्ययन एवं विश्लेषण करता है, जिससे आर्थिक प्रणाली का विश्लेषण एवं बड़े पैमाने पर आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। समष्टि अर्थशास्त्र आय, रोज़गार और संवृद्धि संबंधी नीतियों के व्यापक स्तर से संबंधित होता है। समष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आय निर्धारण पर केंद्रित रहता है।

9 राष्ट्रीय आय (National Income)

सामान्य परिचय (General Introduction)

राष्ट्रीय आय एवं सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित आँकड़े किसी भी देश की आर्थिक स्थिति के बारे में जानने के लिये महत्त्वपूर्ण होते हैं। राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह की माप है। राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी से देश की अर्थव्यवस्था के आकार एवं स्वरूप के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है।

राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न अवधारणाएँ *(Various Concepts Related to National Income)*

बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product at Market Price–GDPMP)

किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत किसी एक वित्तीय वर्ष में सभी निवासी और गैर-निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा बाज़ार मूल्य पर व्यक्त मूल्यवर्द्धनों का योग या संपूर्ण अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाज़ार मूल्य ही बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है।

- भारत में एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है।
- यहाँ देश की घरेलू अर्थात् आर्थिक सीमा के अंतर्गत देश की भौगोलिक, राजनीतिक तथा सामुद्रिक सीमा, वायुमंडल, सीमांतर्गत जलक्षेत्र एवं शेष विश्व में सीमांतर्गत विदेशी अंत:क्षेत्र, जैसे-दूतावास, सैनिक अड्डे आदि शामिल होते हैं।
- केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय के आकलन में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल नहीं किया जाता। उदाहरण के लिये, एक किसान द्वारा ₹1000 का कपास उत्पादित किया गया। इसे एक धागा बनाने वाली कंपनी द्वारा क्रय करके इसका धागा बनाया जाता है एवं इसके धागे को ₹2000 में बेच दिया जाता है। कपड़ा बनाने वाली कंपनी द्वारा इसे क्रय करके इसका कपड़ा बनाकर ₹3000 में बेच दिया जाता है, एवं अंत में एक रेडीमेट शर्ट निर्माता कंपनी कपड़े को क्रय करके शर्ट बनाकर ₹4000 में बेच देती है, तो राष्ट्रीय आय के आकलन में केवल ₹4000 को शामिल किया जाता है। अंतिम वस्तुओं का मूल्य लेने से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य एवं दोहरी गणना की समस्या से बचा जा सकता है।

संभाव्य जीडीपी (Potential GDP)

संभाव्य जीडीपी से आशय किसी देश के उत्पादन के कारकों के पूरी तरह से नियोजित होने पर उत्पादित की जा सकने वाली वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक मूल्य से है। यह किसी देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति की अपेक्षा भविष्य में संभाव्य जीडीपी उत्पादन के उच्चतम स्तर का अनुमान लगाने का प्रयास करता है जो एक अर्थव्यवस्था को बनाए रखता है।

संभाव्य जीडीपी के निर्धारक कारक

- अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी का पूर्ण उपयोग
- देश के मानव संसाधन का समुचित उपयोग
- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में श्रम का इष्टतम वितरण
- श्रम की उपलब्धता और कौशल क्षमता
- उत्पादन से जुड़े विभिन्न कारकों की उच्च क्षमता
- तकनीक के क्षेत्र में प्रगति
- प्रतिस्पर्धी बाज़ार अर्थव्यवस्था
- राजनीतिक स्थिरता

बाज़ार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद (Gross National Product at Market Price– GNP_{MP})

बाज़ार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान केवल निवासी उत्पादक इकाइयों अर्थात् देश के निवासियों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर बाज़ार कीमत पर व्यक्त मूल्य वर्द्धन का योग है या सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाज़ार मूल्य ही बाज़ार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है।

GDP_{MP} तथा GNP_{MP} में अंतर

- एक देश की आर्थिक सीमा के अंतर्गत निवासियों तथा गैर-निवासियों द्वारा अर्जित आय या किये गए कुल उत्पादन को सकल घरेलू उत्पाद (GDP_{MP}) तथा एक देश की आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर केवल निवासियों द्वारा अर्जित आय या किये गए कुल उत्पादन को सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP_{MP}) कहते हैं।
- $GNP_{MP} = GDP_{MP}$ + विदेशों से प्राप्त निवल आय
- विदेशों से प्राप्त निवल आय = देश के निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के बाहर अर्जित आय – गैर निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के भीतर अर्जित आय

बाज़ार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद (Net Domestic Product at Market Price–NDP_{MP})

जब किसी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादन के साधनों के मूल्यों में कमी होती है जिसे मूल्य ह्रास कहा जाता है। जब हम बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, तो बाज़ार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है।

बाज़ार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP_{MP}) = बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP_{MP}) – मूल्य ह्रास

10 भारत में आर्थिक नियोजन एवं नीति आयोग
(Economic Planning in India and Niti Aayog)

आर्थिक नियोजन (Economic Planning)

आर्थिक नियोजन का अर्थ है- स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। आर्थिक नियोजन एक संगठित आर्थिक प्रयास है, जिसमें राज्य द्वारा एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये प्राकृतिक, आर्थिक तथा मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। भारत में नियोजन को 'समवर्ती सूची' (सातवीं अनुसूची) का विषय बनाया गया है।

नियोजन के उद्देश्य *(Objectives of Planning)*

- संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना;
- संसाधनों का तार्किक वितरण सुनिश्चित करना;
- निर्धनता एवं बेरोज़गारी को दूर करना;
- आधारभूत ढाँचे का विकास करना;
- कृषि एवं उद्योगों का समन्वित विकास करना;
- सामाजिक न्याय व विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना;
- राजनीतिक-आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना;
- आत्मनिर्भरता एवं आधुनिकीकरण;
- निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना;
- तीव्र आर्थिक विकास के साथ-साथ समावेशी विकास पर बल।

नियोजन के प्रकार *(Types of Planning)*

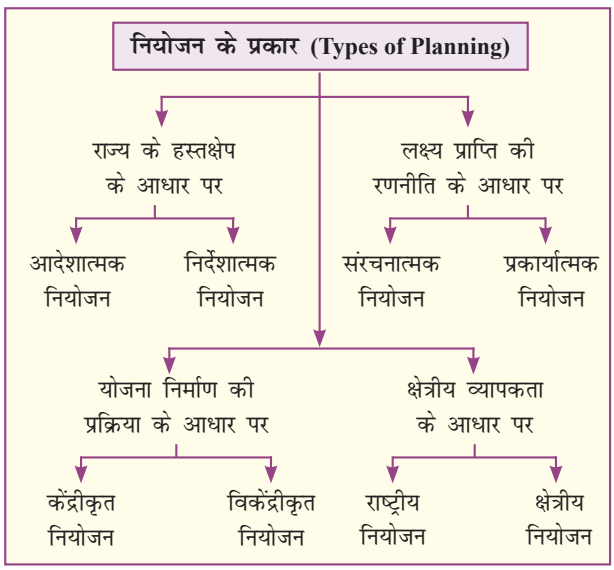

राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर
(On the Basis of State Intervention)

आदेशात्मक नियोजन (Imperative Planning)

आदेशात्मक नियोजन एक केंद्रीकृत व्यवस्था है, जिसमें राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का व्यापक एवं प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है। इसमें केंद्रीय स्तर पर एक शीर्ष संस्था होती है, जो योजनाओं के निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है। इस मॉडल में निर्णय प्रक्रिया केंद्रीकृत होती है, इसलिये इसे 'केंद्रीकृत नियोजन' भी कहा जाता है।

निर्देशात्मक नियोजन (Indicative Planning)

निर्देशात्मक नियोजन एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है, जिसमें राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का सांकेतिक एवं परोक्ष हस्तक्षेप होता है। इसमें सरकार केवल नीतियाँ बनाने का कार्य करती है तथा इसका क्रियान्वयन निजी क्षेत्रों के द्वारा किया जाता है।

लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर
(On the Basis of Strategies for Achieving Targets)

संरचनात्मक नियोजन (Structural Planning)

यदि आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति के लिये संसाधनों के वर्तमान स्वामित्व के ढाँचे, उत्पादन की विधि एवं संस्थागत व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए तो यह 'संरचनात्मक नियोजन' कहलाता है, जैसे- भूमि सुधार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण आदि, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन करके अर्थव्यवस्था की बुनियादी क्षमता बढ़ाई जा सकती है।

प्रकार्यात्मक नियोजन (Functional Planning)

यदि आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति के लिये संसाधन, स्वामित्व के ढाँचे, उत्पादन की विधि अथवा संस्थागत व्यवस्था में कोई मूलभूत परिवर्तन लाने की बजाय उसके अनुकूलतम दोहन की रणनीति अपनाई जाए तो यह 'प्रकार्यात्मक नियोजन' कहलाता है, जैसे- हरित क्रांति के द्वारा कृषि क्षेत्र में यह विधि अपनाई गई।

योजना निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर
(Based on the Process of Planning)

केंद्रीकृत नियोजन (Centralised Planning)

केंद्रीकृत नियोजन में योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन का कार्य राज्य अथवा एक शीर्ष केंद्रीय संस्था द्वारा किया जाता है। इसे 'ऊपर से नीचे की ओर नियोजन' भी कहते हैं।

विकेंद्रीकृत नियोजन (Decentralised Planning)

विकेंद्रीकृत नियोजन में योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र एवं आम नागरिक सभी की सहभागिता होती है। इसे 'नीचे से ऊपर की ओर नियोजन' भी कहते हैं। इसके द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक मज़बूती मिलती है।

11 समावेशी विकास, गरीबी, बेरोज़गारी तथा अन्य मुद्दे
(Inclusive Development, Poverty, Unemployment and Other Issues)

प्रत्येक व्यक्ति समाज में समतापूर्ण व्यवहार की अपेक्षा करता है। भारतीय समाज में कई ऐसे वर्ग हैं, जो समाज की मुख्यधारा से बहिष्कृत हैं, जैसे- दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, विकलांग, घुमंतू जातियाँ, महिलाएँ, गरीब, किन्नर एवं शरणार्थी। इन समूहों को समाज की मुख्यधारा में लाना ही सामाजिक समावेशन कहलाता है जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति विकास की पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

समावेशी विकास एवं सामाजिक समावेशन एक-दूसरे से घनिष्ठता के साथ जुड़े हैं। जहाँ समावेशी विकास अंतिम व्यक्ति तक विकास के वितरण को सुनिश्चित करने से संबंधित है, वहीं सामाजिक समावेशन समाज के अंतिम व्यक्ति को भी वही महत्त्व दिये जाने की वकालत करता है, जो प्रथम व्यक्ति को प्राप्त है। समावेशी विकास में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक सभी पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक समावेशन समावेशी विकास का प्रमुख आधार है। समाज में सामाजिक अपवंचन से मुक्ति समावेशी विकास एवं सामाजिक समावेशन के द्वारा ही संभव है।

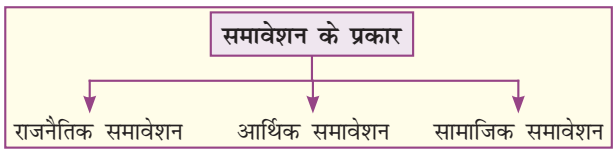

समावेशी विकास (Inclusive Develoment)

समावेशी विकास का आशय आर्थिक विकास की एक ऐसी अवधारणा से है, जिसमें विकास का लाभ समाज के सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त हो, कोई भी वर्ग विकास से वंचित न रह जाए अर्थात् समान अवसरों के साथ-साथ विकास करना ही समावेशी विकास है।

भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास का व्यापक रूप से उपयोग किया। विकास प्रक्रिया को समावेशी बनाने हेतु क्षेत्रीय, सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं को दूर करने हेतु प्रभावी तथा संपोषणीय नीतियाँ एवं कार्यक्रम बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, इसीलिये बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) की अवधारणा का केंद्र बिंदु तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी विकास रखा गया।

योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य मानव विकास तथा व्यक्तियों द्वारा जीवन यापन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना होता है। गरीब एवं हाशिये पर रह रहे लोगों के विकास पर बल, बेहतर रहन-सहन का वातावरण तथा अवसरों का अधिकतम समान वितरण करने की आवश्यकता आदि है। महिलाओं को केंद्र में रखकर उनके सशक्तीकरण पर बल देते हुए उनकी शिक्षा एवं रोज़गार की ओर ध्यान देना आवश्यक है।

जनसंख्या का बड़ा हिस्सा विशेषकर, भूमिहीन कृषि श्रमिक, सीमांत कृषक, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, घुमंतू जातियाँ और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग सामाजिक और वित्तीय समस्याओं तथा अपवर्जन से जूझ रहे हैं। ऐसे वर्ग के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिये सरकार अपनी नीतियों में विशेष उपबंध की व्यवस्था करती है। समावेशी विकास में आर्थिक विकास की ऊँची वृद्धि दर से प्राप्त लाभ के समान वितरण को शामिल किया जाता है।

समावेशी विकास स्थापित करने के महत्त्वपूर्ण घटक *(Important Components to Establish Inclusive Development)*

- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी सामान्य एवं कमज़ोर वर्ग के बेरोज़गारों के लिये विशेष उपबंध करना। रोज़गार में वृद्धि को विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ना।
- आधारभूत आवश्यक वस्तुओं तक सबकी पहुँच सुनिश्चित करना।
- कृषि तथा ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करना, ताकि इस क्षेत्र में निवेश तथा आय में वृद्धि सुनिश्चित हो सके।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा एवं आवास पर अधिक सार्वजनिक व्यय हो।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों तथा कमज़ोर वर्गों, निर्धनों, महिलाओं एवं बच्चों का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण।
- वित्तीय समावेशन की गति को तीव्र करना।

समावेशी संवृद्धि *(Inclusive Growth)*

समावेशी संवृद्धि का अभिप्राय आर्थिक संवृद्धि की एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त हों। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) में समावेशी संवृद्धि को लेकर एक स्पष्ट रणनीति, सरकार द्वारा पेश की गई। इसके अंतर्गत वंचित समूहों विशेष रूप से अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग एवं महिलाओं को विकास और संवृद्धि की प्रक्रिया में शामिल किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 'तीव्रतर, धारणीय और अधिक समावेशी विकास' था। इस कारण समावेशी संवृद्धि विषय को इस योजना में और अधिक महत्त्व मिला।

सरकार द्वारा समय-समय पर समावेशी संवृद्धि के लिये अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक नीतियाँ बनाई गईं। अल्पकालिक नीतियों में सरकार द्वारा खाद्य और पोषाहार, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेयजल तथा शिक्षा संबंधी नीतियाँ सम्मिलित की गईं, परंतु इन अल्पकालिक योजनाओं से सरकार पर धन का भारी बोझ पड़ा, जिस कारण लक्षित समूहों के आत्मनिर्भर बनाने का मुख्य लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

12 भारत में कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector in India)

सामान्य परिचय (General Introduction)

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का एक प्रमुख घटक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय कृषि अत्यंत पिछड़ी अवस्था में थी। उस समय कृषि में श्रम और भूमि की उत्पादकता कम थी। किसान परंपरागत कृषि पद्धतियों से कृषि करते थे। कृषि कार्य केवल जीवन निर्वाह हेतु किये जाते थे। उन दिनों बड़े पैमाने पर कृषि का वाणिज्यीकरण भी नहीं हुआ था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान लगभग 50 प्रतिशत था, लेकिन इसके पश्चात् सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की भागीदारी लगातार कम होती जा रही है।

भारत में कृषि उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। आज भारतीय कृषि भारत की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। भारतीय कृषि का महत्त्व इस बात में परिलक्षित होता है कि दुनिया के मात्र 2.4 प्रतिशत क्षेत्र और 4.2 प्रतिशत पानी से हम विश्व की लगभग 17.5 प्रतिशत आबादी का भरण-पोषण करने में कामयाब हैं। आज भारत ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति एवं विशेषकर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु कृषि क्षेत्र का विकास अत्यंत आवश्यक है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है एवं यह निजी क्षेत्र में सबसे अधिक रोज़गार के अवसर प्रदान करने वाला अकेला व्यवसाय है।

2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी का 54.6 प्रतिशत कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों में लगा है। कृषि क्षेत्र में हुए नवीनतम विकास की वजह से एग्री वेयरहाउसिंग, कोल्ड चेन, सप्लाई चेन, डेयरी, पोल्ट्री, मांस, मछली, बागवानी इत्यादि गतिविधियों में रोज़गार एवं स्वरोज़गार के अवसर बढ़ रहे हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का महत्त्व *(Importance of Agriculture in Indian Economy)*

अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान

कृषि क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महत्त्वपूर्ण योगदान है। वित्तीय वर्ष 1950–51 में यह लगभग 50 प्रतिशत था। भारत के सकल मूल्यवर्द्धन (जीवीए) में इसका योगदान वर्ष 2014-15 के 18.2 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2019-20 में 17.8 प्रतिशत हो गया है, जो कि अर्थव्यवस्था में होने वाली विकास प्रक्रियाओं एवं संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। सकल घरेलू उत्पाद या सकल मूल्य वर्द्धन में कृषि के प्रतिशत योगदान में कमी अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्त्व में गिरावट को नहीं दर्शाती है, अपितु यह केवल अर्थव्यवस्था के द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों की सापेक्षिक तीव्र वृद्धि को दर्शाती है। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत फसलों एवं वानिकी का हिस्सा वर्ष 2014-15 के 11.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018-19 में 9.4 प्रतिशत रह गया है।

हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान यद्यपि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिये मूल्यवर्द्धन (जीवीए) में 7.2 प्रतिशत की दर से कमी हुई है, तथापि कृषि क्षेत्र के जीवीए में 3.4 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि हुई है।

बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये खाद्यान्नों की आपूर्ति

भारत में कृषि क्षेत्र के उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में (चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार) देश में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 296.65 मिलियन टन रहा जो वित्तीय वर्ष 2018-19 के 285.21 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन से 11.44 मिलियन टन अधिक था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-20 के दौरान उत्पादन विगत पाँच वर्षों (2014-15 से 2018-19) के दौरान हुए 269.78 मिलियन टन औसत उत्पादन से 26.87 मिलियन टन अधिक था। अतः वर्तमान में भारत को अपनी विशाल जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है।

औद्योगिक विकास के लिये कृषि क्षेत्र का महत्त्व

कच्चे माल के आपूर्तिकर्त्ता के रूप में कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र की संवृद्धि के लिये मुख्य रूप से महत्त्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र के द्वारा औद्योगिक कच्चे मालों जैसे- कपड़ा उद्योग को कपास, तेल उद्योग को तेल बीजों तथा चीनी उद्योग को गन्ने की आपूर्ति की जाती है। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कृषि उत्पादों के रूप में कच्चा माल उपलब्ध कराता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्त्वपूर्ण योगदान

कृषि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी महत्त्वपूर्ण योगदान देती है। भारत में वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के सूत्रपात के बाद से, भारत कृषि उत्पादों का शुद्ध निर्यातक रहा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत ने ₹2.52 लाख करोड़ के कृषि उत्पादों का निर्यात किया जबकि ₹1.47 लाख करोड़ के कृषि उत्पादों का आयात किया। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, भारत ने जिन देशों को मुख्य रूप से निर्यात किया, उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान, नेपाल तथा बांग्लादेश शामिल हैं। भारत से मुख्य रूप से निर्यात किये गए कृषि तथा संबंधित उत्पादों में समुद्री उत्पाद, बासमती चावल, भैंस का मांस, मसालें, गैर-बासमती चावल, कच्चा कपास, खली, चीनी, अरंडी का तेल और चाय शामिल हैं। यद्यपि भारत उपरोक्त वर्णित कृषि-उत्पादों के व्यापार में प्रमुख स्थान रखता है, तथापि वैश्विक कृषि व्यापार में इसके कृषि उत्पादों का हिस्सा 2.5 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है। कृषि उत्पादों के कुल निर्यात मूल्य में समुद्री उत्पादों की हिस्सेदारी पिछले 6 वर्षों के दौरान सबसे अधिक रही

13 भारत में औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Sector in India)

सामान्य परिचय (General Introduction)

भारत में ब्रिटिश काल के दौरान औद्योगिक विकास को गहरा धक्का लगा। इसलिये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् नियोजकों ने अर्थव्यवस्था के विकास के लिये औद्योगीकरण की आवश्यकता को समझा। किसी भी देश का औद्योगिक विकास उसके आर्थिक विकास का मापक होता है, क्योंकि इस पर कृषि क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र का विकास निर्भर करता है। औद्योगिक क्षेत्र का विकास जहाँ एक ओर नए रोज़गार एवं आय सृजन के द्वारा अर्थव्यवस्था में मांग का सृजन करता है, वहीं दूसरी ओर देश के तीव्र तथा आत्मनिर्भर आर्थिक विकास की नींव तैयार करने में मदद करता है।

भारत की सतत् आर्थिक संवृद्धि की रफ्तार बनाए रखने के लिये अवसंरचना की सुगठित सुविधाओं की सहायता से उच्च दर पर औद्योगिक संवृद्धि का महत्त्व बहुत ही निर्णायक है। निर्माण क्षेत्र सहित औद्योगिक क्षेत्र भारत के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान करता है और वर्ष 2020-21 में सकल मूल्य वर्द्धन (GVA) में इसका 25.8 प्रतिशत का योगदान रहा। मज़बूत और सुदृढ़ औद्योगिक एवं विनिर्माण क्षेत्र घरेलू उत्पादन, निर्यात और रोज़गार के संवर्द्धन में सहायता करता है और ये सभी अर्थव्यवस्था में उच्च विकास के लिये उत्प्रेरक हो सकते हैं। इस तरह किसी भी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के निर्धारण में उद्योग एक निणार्यक भूमिका निभाते हैं।

औद्योगिक क्षेत्र का कार्य-निष्पादन इसलिए महत्त्व रखता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र इसके साथ अंतर्संबंधित हैं। साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लिये एक सशक्त औद्योगिक क्षेत्र का होना अपरिहार्य शर्त है। सर्वविदित है कि वैश्विक महामारी के बीच वित्त वर्ष 2020-21 (FY21) की शुरुआत हुई। इस महामारी से निपटने के लिये देशों ने अनेक उपाय अपनाए जिनसे अर्थव्यवस्था अचानक रुक गई। कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ा। हालाँकि चरणबद्ध रूप से देश में किया जाने वाला अनलॉक अर्थव्यवस्था के संभलने में सहायक सिद्ध हुआ। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा सकल मूल्य वर्द्धन (जीवीए) पर किये गये प्राक्कलन के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में –9.6% की वृद्धि का अनुमान है जिसका वित्तीय वर्ष 2020-21 में समग्र जीवीए में 25.8% का योगदान है। सकल मूल्य वर्द्धन (जीवीए) में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान में वर्ष 2011-12 से ही गिरावट दर्ज की जा रही है। जीवीए में औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न घटकों में से विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं का शेयर वित्त वर्ष 2011-12 में 2.3% से बढ़कर वित्त वर्ष 2020-21 में 2.7% हो गया, जबकि अन्य सभी घटकों में गिरावट हुई है।

वर्तमान मूल्य पर जीवीए में उद्योग और उनके घटकों का अंश (प्रतिशत में)

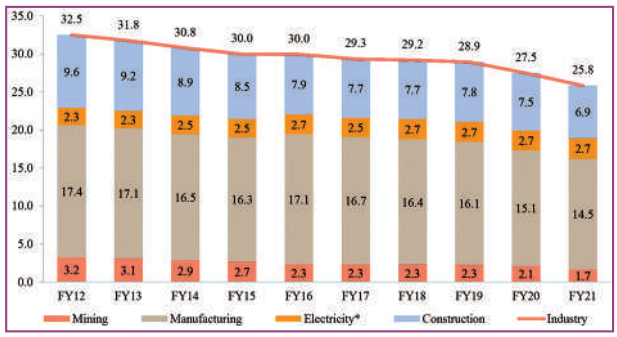

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21

*विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएँ

उद्योग में जी.वी.ए. की वृद्धि दर और उसके घटक (प्रतिशत में)

	FY13	FY14	FY15	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21
उद्योग	3.3	3.8	7.0	9.6	7.7	6.3	4.9	0.9	–9.6
खनन	0.6	0.2	9.7	10.1	9.8	4.9	–5.8	3.1	–12.4
विनिर्माण	5.5	5.0	7.9	13.1	7.9	6.6	5.7	0.0	–9.4
विद्युत*	2.7	4.2	7.2	4.7	10.0	11.2	8.2	4.1	2.7
निर्माण	0.3	2.7	4.3	3.6	5.9	5.0	6.1	1.3	–12.6

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21

*विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएँ

14 भारत में सेवा क्षेत्र (Service Sector in India)

सामान्य परिचय (General Introduction)

सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है, जिसमें उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। सेवा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद का न केवल प्रभुत्वशाली क्षेत्र है बल्कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने वाला महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भी है, जिसका निर्यातों में भी महत्त्वपूर्ण योगदान है तथा जो बड़े पैमाने पर रोज़गार भी प्रदान करता है। भारत के सेवा क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जैसे- व्यापार, होटल एवं रेस्त्राँ, भंडारण, परिवहन, संचार, वित्त, बीमा, रियल एस्टेट, व्यापारिक सेवाएँ, सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएँ तथा निर्माण कार्य से संबद्ध सेवाएँ इत्यादि। भारत के सकल मूल्य वर्द्धन (Gross Value Added–GVA) में 54 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी के साथ सेवा क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास का प्रमुख संचालक बना हुआ है। सेवा क्षेत्र को 'तृतीयक क्षेत्र' भी कहा जाता है।

विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं की विकास प्रवृत्ति का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि जो देश विकास पथ पर अग्रसर होते हैं, उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की तुलना में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है। भारत के संदर्भ में भी यह बात लागू होती है। 1951 में भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान लगभग 52 प्रतिशत था, देश के जीवीए में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2014-15 के 18.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-20 में 17.8 प्रतिशत रह गया है, जो कि अर्थव्यवस्था में होने वाली विकास प्रक्रियाओं एवं संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की महत्ता लगातार बढ़ रही है तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत के सकल मूल्य वर्द्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 54 प्रतिशत से अधिक है।

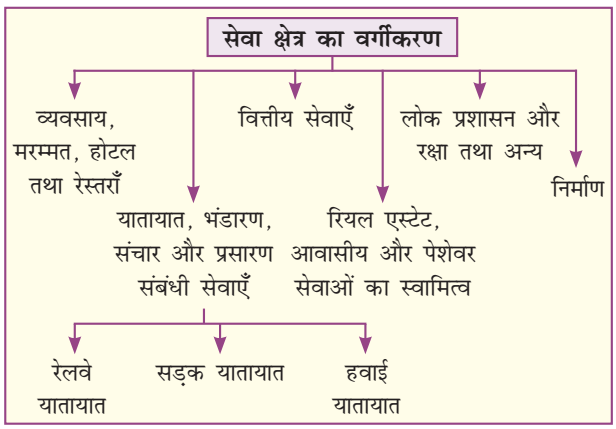

सरकार ने विभिन्न सेवाओं के लिये अनेक योजनाएँ शुरू की हैं। सेवा क्षेत्र में डिजिटलीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके साथ ही पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाओं, उपग्रह मानचित्रण और प्रक्षेपण सेवाओं को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन उपायों के साथ-साथ जीएसटी और एफडीआई उदारीकरण ने इस क्षेत्र के लिये विकास की संभावनाओं को उज्ज्वल बनाया है।

भारत में सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन : एक सिंहावलोकन (Service Sector Performance in India : An Overview)

औद्योगीकरण के पश्चात् कृषि आधारित अधिकांश अर्थव्यवस्थाएँ तीव्र औद्योगिक विकास की ओर गतिशील हुईं, जिससे जनसंख्या के एक बड़े हिस्से के पास आर्थिक शक्ति पहुँची और इस कारण वृद्धि के अगले चरण के फलस्वरूप सेवा क्षेत्र को विकास करने का अवसर मिला। इसी क्रम में अधिकांश अर्थव्यवस्थाएँ उद्योग क्षेत्र से सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ने लगीं। वर्तमान में सेवा क्षेत्र विश्व का सर्वाधिक गतिशील क्षेत्र है।

- वर्ष 2017 में, सेवा जीवीए वृद्धि दर भारत में 7.9 प्रतिशत पर सबसे अधिक थी।
- सेवा क्षेत्र पर कोविड-19 के असर तथा उसके कारण मार्च 2020 से लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन ने वर्ष 2020 को एक असामान्य वर्ष बना डाला। परिणामस्वरूप पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 के पूर्वार्द्ध में सेवा क्षेत्र लगभग 16 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) तक संकुचित हो गया। जिसका कारण सभी उप-क्षेत्रों विशेषकर व्यापार, होटल, परिवहन, संचार तथा प्रसारण संबंधित सेवाओं से तेजी से आई गिरावट थी जो पूर्वार्द्ध वित्त वर्ष 2020-21 में 31.5 प्रतिशत दर्ज की गई।
- वैश्विक स्तर पर वर्ष 2016 में विश्व रोज़गार में लगभग आधा हिस्सा (50.9 प्रतिशत) सेवा क्षेत्र से संबंधित था।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले वर्षों में सेवा क्षेत्र में रोज़गार के सर्वाधिक अवसर होंगे।
- सेवाएँ विश्व व्यापार के सर्वाधिक गतिशील क्षेत्र के रूप में प्रतिनिधित्व करती हैं। अपने आप में महत्त्वपूर्ण होने के साथ ही सेवा क्षेत्र सभी उत्पादों के व्यापार और उत्पादन में प्रमुख आगत उपलब्ध कराकर वैश्विक मूल्य शृंखला और आर्थिक उत्पादन में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व व्यापार संगठन का 'सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता' (General Agreement on Trade in Services–GATS) सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये कानूनी आधारभूत नियम उपलब्ध कराता है, जिसके तहत विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों को उनके चयन की सीमा तक विदेशी प्रतिस्पर्द्धा के लिये उनके बाज़ारों को खोलने हेतु लचीलापन प्रदान कराया जाता है।

से वैध प्रवेश सुविधा के साथ 169 देशों के लिये उपलब्ध है। इसके चलते ई-वीज़ा से भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या वर्ष 2015 में 4.45 लाख से बढ़कर वर्ष 2019 में 29.28 लाख हो गई। जनवरी-मार्च 2020 में यह 8.37 लाख रही।

- पर्यटन ने 2018-19 में भारत की कुल जीडीपी के 5 प्रतिशत का योगदान दिया है और यह देश में कुल रोजगार का लगभग 13 प्रतिशत की सहायता भी प्रदान करता है।

आईटी-बीपीएम सेवाएँ *(IT-BPM Services)*

- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी-व्यावसायिक प्रक्रिया प्रबंधन उद्योग विगत दो दशकों से भारत के निर्यात का ध्वजवाहक रहा है और मार्च 2019-20 में इस उद्योग का आकार 102 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 190.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुँच गया। यह क्षेत्र रोज़गार वृद्धि और मूल्यवर्द्धन के माध्यम से अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण रूप से योगदान करता है। इस उद्योग ने गत 10 वर्षों में 70 प्रतिशत तक वृद्धि कर 1.8 मिलियन कर्मचारियों को शामिल भी किया है।
- गत छह वर्षों से, आई टी सेवाओं ने 2019-20 में लगभग 97 बिलियन यू.एस. डॉलर के राजस्व के साथ आईटी-बीपीएम सेक्टर का बहुतायत शेयर (50 प्रतिशत से अधिक) बरकरार रखा है।
- सॉफ्टवेयर उत्पादों तथा अभियांत्रिकी सेवाएँ 2019-20 में इस क्षेत्र में 21 प्रतिशत की हिस्सेदारी तथा 40.2 बिलियन यू.एस. डॉलर के राजस्व के साथ प्रत्येक वर्ष एक अनवरत वृद्धि का साक्ष्य रही है।
- आईटी-बीपीएम उद्योग (हार्डवेयर और ई.कॉर्मस को छोड़कर) का एक महत्वपूर्ण भाग (लगभग 84 प्रतिशत) निर्यात प्रचालित है। इस निर्यात से 2019-20 में 146 बिलियन यू.एस. सडॉलर से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।
- आईटी-बीपीएस सेक्टर (हार्डवेयर और ई-कॉमर्स को छोड़कर) के घरेलू राजस्व वृद्धि में (2018-19 में –0.3 प्रतिशत से 2019-20 में 6.6 प्रतिशत तक) एक महत्त्वपूर्ण उछाल द्वारा इसे मुख्य रूप से चालित किया गया था।
- 2019-20 में आईटी-बीपीम सेक्टर के निर्यात में कुल 146.55 बिलियन यू.एस. डॉलर में से आईटी सेवाओं ने 54 प्रतिशत निर्यात हिस्सेदारी के साथ 79.1 बिलियन यू.एस. डॉलर का योगदान दिया। साथ ही, बीपीएम व सॉफ्टवेयर उत्पादों तथा अभियांत्रिकी सेवाओं का हिस्सा 46 प्रतिशत था। सभी तीनों उपक्षेत्रों ने आईटी सेवाओं में 6.9 प्रतिशत, बीपीएम सेवाओं में 8.4 प्रतिशत और सॉफ्टवेयर उत्पादों व अभियांत्रिकी सेवाओं में 10.7 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है।

भारतीय आईटी-बीपीएम उद्योग के घरेलू बाज़ार का आकार एवं निर्यात (हार्डवेयर और ई-कॉमर्स को छोड़कर)

वर्ष	बिलियन यूएस डॉलर में			वृद्धि वर्षानुसार		
	घरेलू	निर्यात	कुल	घरेलू	निर्यात	कुल
2015-16	21.58	107.83	129.41	3.2	10.3	9.1
2016-17	23.84	116.06	139.90	10.4	7.6	8.1
2017-18	26.33	125.08	151.40	10.4	7.8	8.2
2018-19	26.25	135.51	161.76	–0.3	8.3	6.8
2019-20E	27.99	146.55	174.53	6.6	8.1	7.9

आईटी-बीपीएम संबंधी निर्यात (यू.एस. बिलियन डॉलर) के उपक्षेत्र का विघटन (हार्डवेयर और ई.-कॉमर्स को छोड़कर)

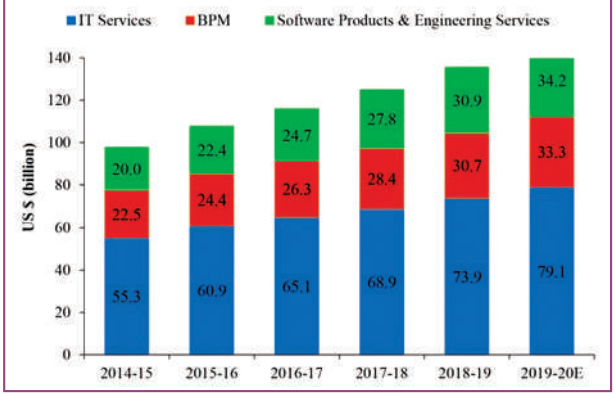

स्रोत: नैसकॉम
टिप्पणी: E = अनुमान

भारत के आईटी-बीपीएम संबंधी निर्यात (बिलियन यू.एस. डॉलर) (हार्डवेयर और ई.-कॉमर्स को छोड़कर) का भौगोलिक विश्लेषणात्मक विवरण

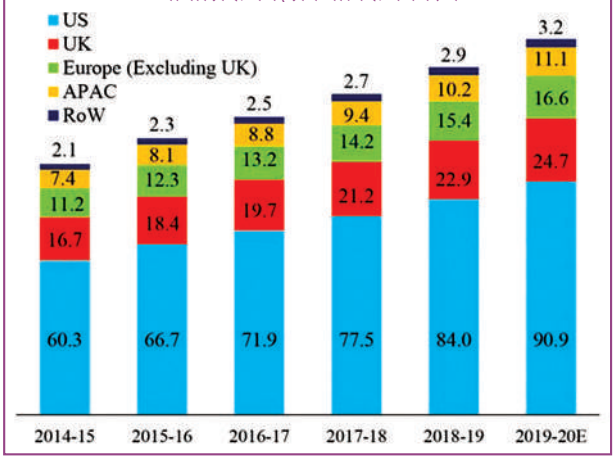

स्रोत: नैसकॉम
टिप्पणी: E = प्राक्कलन।

- गंतव्यवार निर्यात राजस्व को देखें, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का अंश निर्यात में काफी अधिक है। 2019-20 में यहाँ निर्यात 91 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो कि कुल आईटी-बीपीएम निर्यात का (हार्डवेयर को छोड़कर) 62 प्रतिशत है। यह यू.के., जो कि 17 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ आईटी-बीपीएम सेवा का दूसरा सबसे बड़ा बाज़ार है, के अंश से काफी अधिक है। यूरोप (यू.के. को छोड़कर) और एशिया प्रशांत के निर्यात से प्राप्त आय में अंश क्रमशः 11.4 प्रतिशत एवं 7.6 प्रतिशत है।

15 बैंकिंग, वित्तीय प्रणाली एवं मुद्रास्फीति
(Banking, Financial System and Inflation)

वित्तीय बाज़ार (Financial Market)

वित्तीय बाज़ार एक व्यापक बाज़ार है, जहाँ पर अनेक वित्तीय उत्पादों एवं परिसंपत्तियों, जैसे-मुद्राओं, शेयर, बॉण्ड्स, डेरिवेटिव्स और अन्य वित्तीय विपत्रों एवं वित्तीय उपकरणों का क्रय-विक्रय किया जाता है। वित्तीय बाज़ार का प्राथमिक कार्य पूंजी के आधिक्य वाले क्षेत्रों से पूंजी की कमी वाले क्षेत्रों की ओर पूंजी का गतिशीलन सुनिश्चित करना है। वित्तीय प्रणाली से आशय वित्तीय बाज़ार में उपस्थित वित्तीय संस्थाओं से है जो अर्थव्यवस्था में बचत को बढ़ाने तथा उसके कुशलतम प्रयोग की ओर गतिशीलता बढ़ाने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।

वित्तीय बाज़ार के दो प्रमुख अंग होते हैं-

1. मुद्रा बाज़ार (Money Market)
2. पूंजी बाज़ार (Capital Market)

मुद्रा बाज़ार *(Money Market)*

'मुद्रा बाज़ार' एक ऐसा बाज़ार होता है जहाँ पर विभिन्न मौद्रिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियों का अल्पकाल (सामान्यतया एक वर्ष की अवधि) के लिये क्रय-विक्रय किया जाता है। मुद्रा बाज़ार में भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता एवं मुद्रा की मात्रा एवं प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। भारत में मुद्रा बाज़ार को दो भागों में बाँटा जा सकता है-1. संगठित/औपचारिक मुद्रा बाज़ार, 2. असंगठित/अनौपचारिक मुद्रा बाज़ार।

भारतीय रिज़र्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है इसलिये मुद्रा बाज़ार को विनियमित करने का उत्तरदायित्व इसका ही है। भारतीय रिज़र्व बैंक मुद्रा बाज़ार में तरलता एवं मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने के साथ-साथ प्रमुख नीतिगत दरों का भी निर्धारण करता है। यह भारत में बैंकिंग संरचना का निर्धारण करता है एवं बैंकों के संचालन के लिये नियम-विनियम बनाता है, महत्त्वपूर्ण ब्याज़ दरों का निर्धारण कर मुद्रा के प्रवाह को एक दिशा देता है एवं मुद्रास्फीति एवं मुद्रा अवस्फीति की समस्या का समाधान करते हुए अर्थव्यवस्था में संतुलनकारी स्थिति बनाए रखता है।

भारत में संगठित मुद्रा बाज़ार के तीव्र विस्तार के बावजूद आज भी असंगठित क्षेत्र विद्यमान हैं। असंगठित मुद्रा बाज़ार में देशी बैंकर्स, महाजन, साहूकार, सेठ, चेट्टी इत्यादि प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

पूंजी बाज़ार *(Capital Market)*

'पूंजी बाज़ार' से आशय ऐसे वित्तीय बाज़ार से है जहाँ वित्तीय प्रतिभूतियों एवं संपत्तियों का मध्यम एवं दीर्घकाल (सामान्यतया एक वर्ष से अधिक) के लिये क्रय-विक्रय किया जाता है। पूंजी बाज़ार पूंजी एवं बचत आधिक्य वाले क्षेत्रों से पूंजी निकालकर उन क्षेत्रों तक पूंजी पहुँचाता है जहाँ पूंजी की मांग एवं कमी है। इस प्रकार पूंजी बाज़ार अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में बचत में वृद्धि करने एवं पूंजी के प्रवाह को उत्पादक क्षेत्रों की ओर निर्देशित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूंजी बाज़ार को दो बाज़ारों में बाँटा जाता है- 1. प्राथमिक पूंजी बाज़ार, 2. द्वितीयक पूंजी बाज़ार।

मुद्रा (Money)

मुद्रा अर्थव्यवस्था का आधार होती है, जिसके ज़रिये वस्तुएँ एवं सेवाएँ खरीदी एवं बेची जाती हैं। मुद्रा को उस वस्तु के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में समाज द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार किया जाए, जो लेखा (Account) की इकाई के रूप में कार्य कर सकती है, क्रय शक्ति का संचय कर सकती है और जिसे ऋण चुकाने के लिये प्रयोग किया जा सकता है। प्रारंभिक भारतीय समाज में मुद्रा के रूप में वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन प्रारंभ हुआ। परंतु औद्योगीकरण व नगरीकरण के विकास ने मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी अर्थात् कागज़ के नोटों को मुद्रा विनिमय का माध्यम बनाया। अमेरिकी अर्थशास्त्री फ्राँसिस ए. वॉकर के अनुसार, "मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे।" ("Money is what money does".)

मुद्रा के कार्य *(Functions of Money)*

- **मूल्य का मापक:** मुद्रा ही वह इकाई है, जिसके रूप में सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप की जाती है। प्रत्येक वस्तु और सेवा का यही मूल्य उसकी कीमत कहलाता है। चूँकि कीमत मौद्रिक इकाई में व्यक्त की जाती है, इस कारण वस्तु का मूल्य भी मौद्रिक रूपों में ही व्यक्त किया जाता है।
- **विनिमय का माध्यम:** मुद्रा विनिमय या भुगतान के माध्यम का कार्य करती है। चाहे कोई वस्तु खरीदनी हो या सेवा प्राप्त करनी हो, उसका भुगतान हम मुद्रा के माध्यम से करते हैं। मुद्रा की सहायता से किसी वस्तु एवं सेवा का क्रय-विक्रय आसानी से किया जा सकता है।
- **स्थगित भुगतानों की माप:** मुद्रा से भविष्य में होने वाले भुगतानों की इकाई का काम भी लिया जा सकता है। अनेक अवस्थाओं में किन्हीं कार्यों आदि का भुगतान बहुत बाद में होता है जैसे कि पेंशन, मूलधन और ब्याज़ आदि का भुगतान। मुद्रा का मूल्य तुलनात्मक दृष्टि से स्थिर रहता है और यह अन्य वस्तुओं की तुलना में टिकाऊ होता है। ऋण और उधार में भी भविष्य में भुगतान के लिये मुद्रा को ही स्वीकार किया जाता है।
- **मूल्य का संचय:** मूल्य के संचय का अर्थ है- धन का संचय। जब मुद्रा को मूल्य की इकाई और भुगतान का माध्यम मान लिया जाता

16 राजकोषीय नीति एवं कर संरचना
(Fiscal Policy and Tax Structure)

राजकोषीय नीति (Fiscal Policy)

सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, करारोपण, बजट घाटे, सब्सिडी और हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था से संबंधित नीतियाँ 'राजकोषीय नीति' कहलाती हैं। करारोपण, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति के प्रमुख घटक होते हैं। सरकार राजकोषीय नीति के द्वारा निजी क्षेत्रों के लिये संसाधनों की उपलब्धता, संसाधनों का आवंटन तथा आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका इत्यादि को प्रभावित करती है। इस नीति का संचालन सरकार वित्त मंत्रालय की सहायता से स्वयं करती है। राजकोषीय नीति के तहत अत्यधिक मुद्रास्फीति की स्थिति में कम-से-कम घाटे का बजट बनाने तथा कम-से-कम हीनार्थ प्रबंधन का सहारा लेने की नीति अपनाई जाती है, साथ-ही-साथ आवश्यक वस्तुओं पर से कर को कम या समाप्त कर दिया जाता है। सब्सिडी को भी बढ़ा दिया जाता है, ताकि आधारभूत वस्तुओं तक आम जनता की पहुँच भी हो सके।

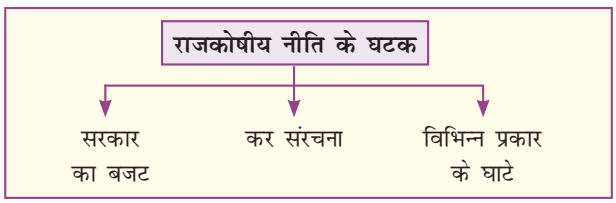

जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग एवं व्यय की कमी के कारण मंदी जैसी स्थिति हो तब सरकार राजकोषीय नीति की सहायता से करों में कमी तथा सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि के द्वारा समग्र मांग एवं व्यय को बढ़ाने का प्रयास करके मंदी से निकलने की कोशिश करती है। इसके विपरीत जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग एवं व्यय की अधिकता के कारण अभिवृद्धि की स्थिति हो तो सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से सार्वजनिक व्ययों में कमी करके तथा करारोपण में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था को संतुलित करने का प्रयास करती है।

बजट (Budget)

बजट पद्धति संसाधनों की उपलब्धता का अनुमान लगाने और फिर उन्हें एक पूर्व निश्चित प्राथमिकता के अनुसार किसी संगठन के विभिन्न कार्यकलापों के लिये आवंटित करने की एक प्रक्रिया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिये प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण रखवाएगा जिसे इस भाग में 'वार्षिक वित्तीय विवरण' कहा गया है। इस 'वार्षिक वित्तीय विवरण' को ही 'आम बजट' कहा जाता है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार राज्य का 'वार्षिक वित्तीय विवरण' तैयार करती है, जिसे राज्य सरकार का बजट कहा जाता है।

- सरकार की बजटीय नीति राजकोषीय नीति का महत्त्वपूर्ण भाग होती है। सरकार की बजटीय नीति में सरकार के सभी कार्यक्रमों एवं नीतियों को शामिल किया जाता है। इसके राजस्व पक्ष में कर प्राप्तियों एवं करेतर अन्य प्राप्तियों के रूप में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों को दिखाया जाता है तथा इसके व्यय पक्ष में उपभोग व्यय, निवेश व्यय तथा हस्तांतरण भुगतानों के रूप में सरकार के अनुमानित व्यय को प्रकट किया जाता है।
- 1920–21 के दौरान ब्रिटिश रेलवे अर्थशास्त्री विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इसी एकवर्थ समिति (Acworth Committee) की सिफारिशों को आधार बनाकर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। इसके पीछे तर्क दिया गया कि रेलवे एक उद्यम है, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य कर सकती है।

नोट: बजट 2017–18 में रेल बजट को आम बजट में समाहित करके पेश किया गया। उल्लेखनीय है कि 2017–18 के बजट के पहले तक रेल बजट को एक अलग बजट के रूप में पेश किया जाता था। वित्तीय वर्ष 2017–18 से बजट प्रस्तुत करने की तिथि में भी बदलाव करके 1 फरवरी कर दिया गया, इससे पूर्व 28 फरवरी या 29 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता था।

- भारत में पहला बजट 18 फरवरी, 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में प्रस्तुत किया गया, जबकि स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर, 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर. के. षणमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया।
- केंद्रीय बजट में तीन लगातार वर्षों की प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है, जो निम्न प्रकार से व्यवस्थित होते हैं-
  - आगामी वित्तीय वर्ष के लिये बजट अनुमान
  - चालू वित्तीय वर्ष के लिये संशोधित अनुमान
  - पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियाँ तथा व्यय

बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों एवं आय तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। बजट अर्थव्यवस्था की संवृद्धि तथा स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार की राजकोषीय नीति को प्रकट करता है।

17 केंद्र सरकार की योजनाएँ (Schemes of Central Government)

केंद्रीय सरकारी योजनाओं से संबंधित परिभाषाएँ एवं तथ्य (Definitions and Facts Related to Central Government Schemes)

- अक्टूबर 2015 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के युक्तीकरण पर मुख्यमंत्रियों के उप समूह (The Sub-Group of Chief Ministers on Rationalisation of Centrally Sponsored Schemes) ने अपनी रिपोर्ट नीति आयोग को सौंपी थी। इसकी अध्यक्षता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। इसके आधार पर केंद्र सरकार ने योजनाओं की संरचना और वित्त पोषण में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया।
- केंद्र सरकार की योजनाएँ मुख्यता दो प्रकार की होती हैं-
  1. केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (Centrally Sponsored Schemes)
  2. केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ (Central Sector Schemes)
- केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है तथा इनका संबंध संविधान की सातवीं अनुसूची के संघ सूची में आने वाले विषयों से है। इन्हें संघ सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के तहत कार्य करने वाली संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और ये संघ सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित हैं।
- केंद्र प्रायोजित योजना का संबंध संविधान की सातवीं अनुसूची के राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषयों से हैं। इन योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है और इनकी आर्थिक लागत को केंद्र और राज्यों के बीच सामान्यत: साझा किया जाता है।
- उप समूह ने सिफारिश की थी कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की कुल संख्या 30 से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- केंद्र प्रायोजित योजना को कोर और वैकल्पिक योजनाओं में विभाजित किया गया है।
  - **कोर योजनाएँ:** इसमें वह केंद्र प्रायोजित योजनाएँ शामिल हैं जिनका एजेंडा राष्ट्रीय विकास है तथा यहाँ केंद्र और राज्य सरकार को टीम इंडिया की भावना के साथ मिलकर काम करना है।
  - **कोर ऑफ कोर योजनाएँ:** वे योजनाएँ जो सामाजिक संरक्षण और सामाजिक समावेशन के लिये आवश्यक हैं और नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा के लिये उपलब्ध धन पर प्राथमिक रूप से भारित हैं।
  - **वैकल्पिक योजनाएँ:** इन योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर है तथा वे इनका चयन करने के लिये स्वतंत्र हैं। इन योजनाओं के लिये वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को एकमुश्त राशि आवंटित की जाती है।
- कोर ऑफ कोर योजनाओं का वित्त पोषण अपने पूर्व रूप में ही जारी रहेगा।
- कोर योजनाओं के संबंध में वित्त पोषण निम्न आधार पर होगा-
  - उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिये केंद्र और राज्य सरकार के मध्य 90:10 में लागत साझा होगी।
  - अन्य राज्यों के लिये केंद्र और राज्य 60:40 में लागत साझा करेंगे।
  - जिन केंद्रशासित प्रदेशों में विधायिका नहीं है वहाँ केंद्र सरकार 100 प्रतिशत और विधायिका वाले संघशासित प्रदेशों में पूर्व निर्धारित वित्त पोषण जारी रहेगा।
- वैकल्पिक योजनाओं के लिये वित्त पोषण निम्न आधार पर होगा-
  - उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिये केंद्र और राज्य सरकार के मध्य 80:20 में लागत साझा होगी।
  - जिन केंद्रशासित प्रदेशों में विधायिका नहीं है वहाँ केंद्र सरकार 100 प्रतिशत और विधायिका वाले संघ शासित प्रदेशों में 80:20 में लागत साझा करेंगे।
- केंद्र प्रायोजित योजना को निर्मित करते समय केंद्रीय मंत्रालय राज्यों को घटकों के चयन में लचीलापन प्रदान करेंगे जैसा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत उपलब्ध है।
- इसके अलावा, प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना में उपलब्ध फ्लेक्सी-फंड को राज्यों के लिये 10 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 25 प्रतिशत और केंद्रशासित प्रदेश के लिये 30 प्रतिशत कर दिया गया है ताकि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपनी विशिष्ट आवश्यकताएँ बेहतर तरीके से पूर्ण कर सकें।
- बजट 2018-19 के अनुसार कोर ऑफ कोर योजनाएँ निम्न हैं-
  - राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
  - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम - मनरेगा
  - अनुसूचित जातियों के विकास के लिये अम्ब्रेला योजना
  - अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये अम्ब्रेला योजना
  - अल्पसंख्यकों के विकास के लिये अम्ब्रेला कार्यक्रम
  - अन्य कमज़ोर समूहों के विकास के लिये अम्ब्रेला कार्यक्रम
- कोर योजनाओं में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नील क्रांति इत्यादि योजनाएँ शामिल हैं।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना *(PM SVANidhi Scheme)*

उद्देश्य

इस योजना के अंतर्गत रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में गली-मोहल्ले में फेरी लगाकर और रेहड़ी-पटरी पर कारोबार करने वाले विक्रेताओं को

खंड C

विश्व की अर्थव्यवस्था

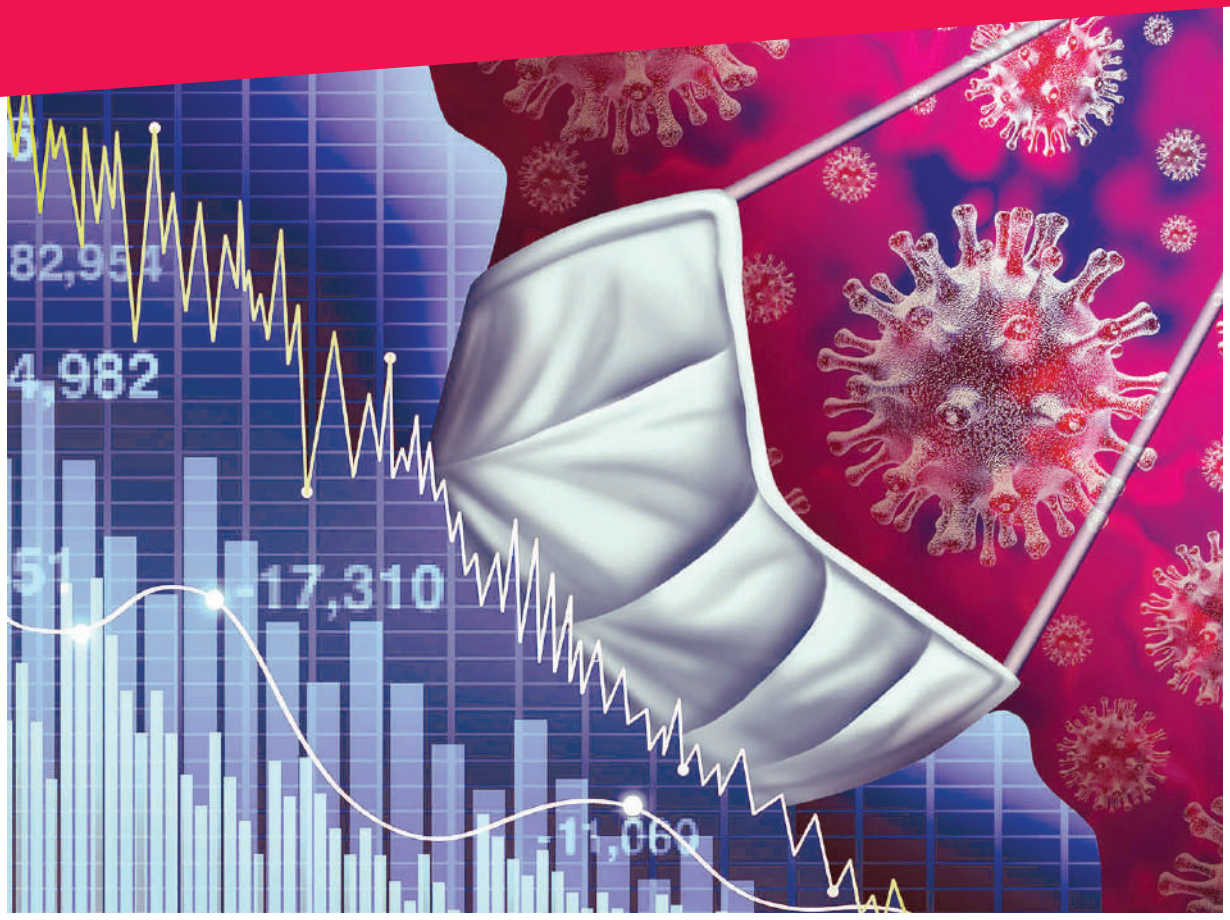

18 भारत का वैदेशिक क्षेत्र
(External Sector of India)

सामान्य परिचय (General Introduction)

- कोविड-19 महामारी ने 2020 महामंदी (ग्रेट डिप्रेशन) के बाद से सबसे बुरी वैश्विक मंदी को जन्म दिया है; हालाँकि, शुरू में जिस प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव की आशंका थी उसकी तुलना में कम नुकसान होने की उम्मीद है। इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न आर्थिक संकट के कारण वैश्विक व्यापार में भारी गिरावट आई है, वस्तुओं की कीमतें कम हुई हैं और संकुचित बाहरी वित्तपोषण की स्थिति में चालू खाता शेष और विभिन्न देशों की मुद्राओं पर अलग-अलग दुष्प्रभाव पड़े हैं। वैश्विक व्यापारिक व्यवसाय 2020 में 9.2 प्रतिशत तक कमी आने की उम्मीद है। कम आयात की वजह से चीन और अमेरिका के साथ व्यापार संतुलन में सुधार हुआ है।
- भारत के वैश्विक व्यापार की बदलती प्रकृति रत्न और गहने, इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा और संबद्ध उत्पादों के निर्यात में कमी और दवाओं और फार्मा, सॉफ्टवेयर और कृषि और संबद्ध उत्पादों के निर्यात में सुधार के रूप में प्रकट हुई है। विशेष रूप से, फार्मा निर्यात ने इस अवसर का उपयोग भारत के कुल निर्यात में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिये किया और भारत को दुनिया की फार्मेसी होने की संभावना को इंगित किया। समायोज्य (रिज़िलिएंट) सॉफ्टवेयर सेवा निर्यातों के समर्थन से भारत को चालू वित्त वर्ष के दौरान चालू खाते में 17 वर्षों के अंतराल के बाद फिर से अधिशेष देखने की उम्मीद है।
- दूसरी ओर, पूंजी खाता शेष, मज़बूत एफडीआई और एफपीआई प्रवाह से मज़बूत हुआ है। इन परिवर्तनों के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है, जो 8 जनवरी, 2021 तक $ 586.1 बिलियन के उच्च स्तर तक पहुँच गया। विदेशी मुद्रा बाज़ार में आरबीआई का हस्तक्षेप अस्थिरता और रुपये के एकतरफा अधिमूल्यन को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल रहा है। हालाँकि इस हेडलाइन मुद्रास्फीति के उच्च स्तर ने आरबीआई के समक्ष शास्त्रीय ट्राइलेमा (त्रिधापाश) की स्थिति उत्पन्न की है, जिससे एक ओर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाली संकुचित मौद्रिक नीति एवं वृद्धि के प्रोत्साहन के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखा जा सके। इस पृष्ठभूमि से निर्यात को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न प्रयास किए गए जिसमें शामिल हैं-उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर की छूट (आरओडीटीईपी), व्यापार लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढाँचे में सुधार और डिजिटल प्रयास निर्यात को सुगम बनाने में अधिक सहायक होंगे।
- कोविड-19 ने वैश्विक मूल्य शृंखलाओं की बढ़ती परस्परता द्वारा उत्प्रेरित प्रसार के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। परिणामी संकट ने वैश्विक व्यापार में तीव्र गिरावट, कमोडिटी/माल की कीमतों में गिरावट, बाहरी वित्तपोषण की खराब स्थिति और चालू खाता शेष और मुद्राओं के लिये अलग-अलग प्रभाव के साथ एक तीव्र आघात किया है। वर्ष 2020 के पहले पाँच महीनों में माल व्यापार (गुड्स ट्रेड) की वैश्विक मात्रा 2019 की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत कम थी- जो वैश्विक संकट के पहले पाँच महीनों में अप्रत्याशित अधिक संकुचन वाली स्थिति रही।

भुगतान संतुलन खाता (Balance of Payment Account)

- 'भुगतान संतुलन' का अर्थ है- एक देश के निवासियों का विश्व के अन्य देशों के साथ एक वर्ष के दौरान किया गया आर्थिक लेन-देन, जिसमें वस्तुओं, सेवाओं तथा आय का लेन-देन शामिल होता है। यह मौद्रिक लेन-देन वस्तुओं के निर्यात एवं आयात (दृश्य मदें), सेवाओं के निर्यात एवं आयात (अदृश्य मदें), वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे- स्टॉक्स, बॉण्ड्स के अंतर्राष्ट्रीय क्रय-विक्रय, वास्तविक परिसंपत्तियों, जैसे- प्लांट एवं मशीनरी के अंतर्राष्ट्रीय क्रय-विक्रय के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। यह लेन-देन जिस खाते में दर्ज किया जाता है उसे ही 'भुगतान संतुलन खाता' कहते हैं। किंडलबर्गर के शब्दों में, *"एक देश का भुगतान संतुलन उस देश के निवासियों तथा विदेशी देशों के निवासियों के बीच में किये गए सभी आर्थिक सौदों का क्रमबद्ध लेखा है।"* इसके दो पक्ष होते हैं- 1. क्रेडिट साइड, 2. डेबिट साइड।
- क्रेडिट साइड में उन मदों को दिखाया जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा आती है, जबकि डेबिट साइड में उन मदों को दिखाया जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा बाहर जाती है।

भुगतान संतुलन खाता में दिखाई जाने वाली मदों को दो भागों में बाँटा गया है-

1. **दृश्य मदें (Visible Items):** इसके तहत भौतिक वस्तुओं के आयात-निर्यात को भुगतान संतुलन खाते में वस्तु खाता (Goods A/c) के तहत दिखाया जाता है। सामान्य तौर पर किसी देश के आयात-निर्यात का अर्थ वस्तु खाते से लगाया जाता है अर्थात् किसी देश के आयात-निर्यात का अर्थ दृश्य मदों के आयात एवं निर्यात से होता है और इन दृश्य मदों के आयात-निर्यात का अंतर 'व्यापार संतुलन' (Balance of Trade) कहलाता है।
2. **अदृश्य मदें (सेवाएँ) (Invisible Items):** अदृश्य मदों में सेवाएँ आती हैं और इसके आयात-निर्यात को सेवा खाता (Service A/c) के तहत दिखाया जाता है अर्थात् सेवाओं के आयात-निर्यात का अर्थ है, अदृश्य मदों का आयात-निर्यात।

इसके तहत निम्नलिखित मदें आती हैं-

- बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ, बीमा कंपनी, जहाज़रानी तथा एयरलाइंस से प्राप्त आय एवं किया गया भुगतान;

19 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन, समूह एवं समझौते
(International Economic Organizations, Groups and Agreements)

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund)

- 'अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष' (International Monetary Fund–IMF) की कल्पना पहली बार वर्ष 1944 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैंपशायर नामक शहर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर किया गया था।
- ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (IBRD) के गठन की भी कल्पना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, विश्व बैंक समूह की महत्त्वपूर्ण संस्था है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (विश्व बैंक) को प्रायः संयुक्त रूप से ब्रेटन वुड्स के जुड़वाँ (Bretton Woods Twins) के नाम से जाना जाता है।
- ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णयानुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की औपचारिक स्थापना 27 दिसंबर, 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन शहर में हुई थी, लेकिन इसने वास्तविक रूप से 1 मार्च, 1947 से कार्य करना प्रारंभ किया।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान में 190 सदस्य हैं। अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने वाला सबसे नया (190वाँ) देश है।
- क्रिस्टालिना जॉर्जीवा (Kristalina Georgieva) वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक हैं। इसके प्रथम प्रबंध निदेशक कैमिल गट्ट (Camille Gutt) थे।

नोट: क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने IMF में क्रिस्टिन लगार्ड की जगह ली है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ज़िम्मेदारियाँ *(Responsibilities of IMF)*

- अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना;
- सभी सदस्य देशों के आर्थिक विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास को सुविधाजनक बनाना;
- सदस्य देशों की मुद्रा विनिमय दर की स्थिरता को बढ़ावा देना;
- सदस्य देशों को भुगतान संतुलन की समस्या के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना;
- बहुपक्षीय भुगतानों (Multilateral Payments) की व्यवस्था स्थापित करके विनिमय प्रतिबंधों को समाप्त करना अथवा कम करना;
- धन शोधन (Money Laundering) तथा आतंकवाद के वित्तीयन को रोकने हेतु सदस्य देशों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना;
- विश्व में गरीबी को कम करने के लिये प्रयास करना।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रशासनिक संरचना *(Administrative Structure of IMF)*

- गवर्नर मंडल (Board of Governors) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सर्वोच्च निर्णायक संस्था है, जिसमें इसके सभी 190 सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है। कोष के गवर्नर मंडल में प्रत्येक सदस्य देश द्वारा गवर्नर नियुक्त किया जाता है, जो उस सदस्य देश का वित्त मंत्री अथवा उसके केंद्रीय बैंक का गवर्नर होता है। इसके साथ ही प्रत्येक देश द्वारा कोष के गवर्नर मंडल में एक वैकल्पिक गवर्नर भी नियुक्त किया जाता है, जो गवर्नर की अनुपस्थिति में गवर्नर मंडल की बैठकों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह के गवर्नर मंडल अपने संबंधित संस्थानों के काम पर चर्चा करने हेतु सामान्यतः वर्ष में एक बार मिलते हैं। वहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर मंडल को सलाह प्रदान करने हेतु गठित 24 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति (IMFC) की बैठकों का आयोजन वर्ष में दो बार किया जाता है। पहली बैठक 'बसंत बैठक' (Spring Meeting) के नाम से जानी जाती है, जो प्रायः अप्रैल महीने में आयोजित की जाती है, जबकि दूसरी बैठक 'वार्षिक बैठक' (Annual Meeting) के नाम से जानी जाती है, जो प्रायः प्रति वर्ष सितंबर-अक्तूबर माह में आयोजित की जाती है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर मंडल ने अपनी अधिकांश शक्तियों को कार्यकारी मंडल (Executive Board) के पक्ष में प्रत्यायोजित (Delegate) कर दिया है, लेकिन सदस्य देशों का कोटा बढ़ाने, विशेष आहरण अधिकार (SDR) आवंटन, नए सदस्यों का प्रवेश, सदस्यों की अनिवार्य वापसी तथा समझौते के अनुच्छेदों (Articles of Agreement) एवं उपविधि (By-laws) में संशोधन करने के अधिकार अभी भी गवर्नर मंडल के पास हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी मंडल इसके दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों की देखभाल करता है। कार्यकारी मंडल में कुल 24 कार्यकारी निदेशक होते हैं, जिनका चयन गवर्नर मंडल द्वारा किया जाता है। कार्यकारी मंडल में सभी 190 देशों का प्रतिनिधित्व होता है। इसके लिये सदस्य देशों को 24 समूहों में विभाजित किया जाता है तथा प्रत्येक समूह से कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया जाता है, जो उस समूह का प्रतिनिधित्व करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर मंडल को दो मंत्रिमंडलीय समितियों की सलाह प्राप्त होती है-
  - अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति (International Monetary and Financial Committee–IMFC)
  - विकास समिति (Development Committee)

Think IAS

दृष्टि The Vision

Think Drishti

घर बैठे IAS/PCS की संपूर्ण तैयारी करने के लिये आपका स्वागत है

Drishti Learning App

पर

GET IT ON Google Play

अपने एंड्रॉयड फोन पर आज ही इंस्टॉल करें

ऐप की विशेषताएँ

- टीम दृष्टि द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएँ एक ही मंच पर।
- ऑनलाइन, पेनड्राइव मोड में कक्षाएँ उपलब्ध।
- प्रिलिम्स और मेन्स की टेस्ट सीरीज़ भी ऐप के माध्यम से उपलब्ध।
- सभी पुस्तकें, मैगजीन, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के नोट्स देखने व मंगवाने की सुविधा।

ऑनलाइन कोर्स की विशेषताएँ

- घर बैठे देश के सर्वोत्कृष्ट अध्यापकों से पढ़ने की सुविधा।
- अब दिल्ली या किसी बड़े शहर जाकर पढ़ने की मजबूरी नहीं।
- IAS और PCS के कोर्स उपलब्ध।
- ऑनलाइन कोर्स करने के बाद, क्लासरूम कोर्स में प्रवेश लेने पर शुल्क में विशेष छूट।
- हर क्लास अपनी सुविधा से 3 बार देखने की सुविधा।
- उत्तर लिखकर चेक कराने तथा संदेह-समाधान की व्यवस्था भी शीघ्र उपलब्ध।
- कई विषयों के कोर्स ऑनलाइन और पेनड्राइव मोड में भी उपलब्ध।

दृष्टि आई.ए.एस. (दिल्ली शाखा) का पता
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
8448485519, 87501 87501, 011-47532596

दृष्टि आई.ए.एस. (प्रयागराज शाखा) का पता
ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज
8448485518, 8750187501, 8929439702

दृष्टि आई.ए.एस. (राजस्थान शाखा) का पता
प्लॉट नंबर-45 व 45-A, हर्ष टावर-2, मेन टोंक रोड़,
वसुंधरा कॉलोनी, जयपुर राजस्थान-302018
8448485518, 8750187501, 8929439702

दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध प्रमुख कोर्सेज़

IAS Foundation Course

सामान्य अध्ययन

प्रिलिम्स + मेन्स

- 1200+ घंटों की 500+ कक्षाएँ
- सभी टॉपिक के लिये प्रिंटेड नोट्स
- 3 वर्षों के लिये अन्य विशेष सुविधाएँ

IAS Foundation Course

General Studies

Prelims + Mains

- 400+ Classes of 1000+ hrs.
- Printed Notes of All Segments
- Other special facilities for 3 years

IAS Prelims Course

सामान्य अध्ययन

केवल प्रिलिम्स

- 500+ घंटों की कक्षाएँ
- 'क्विक बुक सीरीज़' की 8 पुस्तकें
- 2 वर्षों के लिये अन्य विशेष सुविधाएँ

IAS + UPPCS + BPSC Optional Subject

हिंदी साहित्य

द्वारा- डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

- 400+ घंटों की कक्षाएँ
- पाठ्यक्रम में शामिल सभी पाठ्य-पुस्तकें तथा प्रिंटेड नोट्स
- 145 दैनिक अभ्यास प्रश्न और 18 टेस्ट पेपर (मॉडल उत्तर सहित)

BPSC Prelims Course

बिहार PCS

- 500+ घंटों की कक्षाएँ
- 'BPSC सीरीज़' की 8 पुस्तकें
- 2 वर्षों के लिये अन्य विशेष सुविधाएँ

RAS/RTS Prelims Course

राजस्थान PCS

- 500+ घंटों की कक्षाएँ
- 'RAS सीरीज़' की 8 पुस्तकें
- 2 वर्षों के लिये अन्य विशेष सुविधाएँ

अतिरिक्त जानकारी के लिये 9311406442 नंबर पर कॉल करें या वाट्सएप करें

विज़िट करें www.drishtiIAS.com

अपने फोन पर इंस्टॉल करें Drishti Learning App

641, 1st Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9
Ph.: 011-47532596, 87501 87501
Website: www.drishtiias.com
E-mail: booksteam@groupdrishti.com

ISBN 978-93-909550-9-1

मूल्य : ₹ 420